नागरिक शास्त्र

1. एक दूसरे पर निर्भर

किशन का अकेलापन

क्या तुम कभी अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहे हो? याद करो कैसा लगा था। एक दिन की बात अलग है, पर सोचो क्या कोई कई दिनों तक बिल्कुल अकेला रह सकता है?

चलो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो बिल्कुल ही अकेला रहता था। नाम था उसका किशन। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह किशनपुर गांव का रहने वाला था। न तो उसके मां-बाप

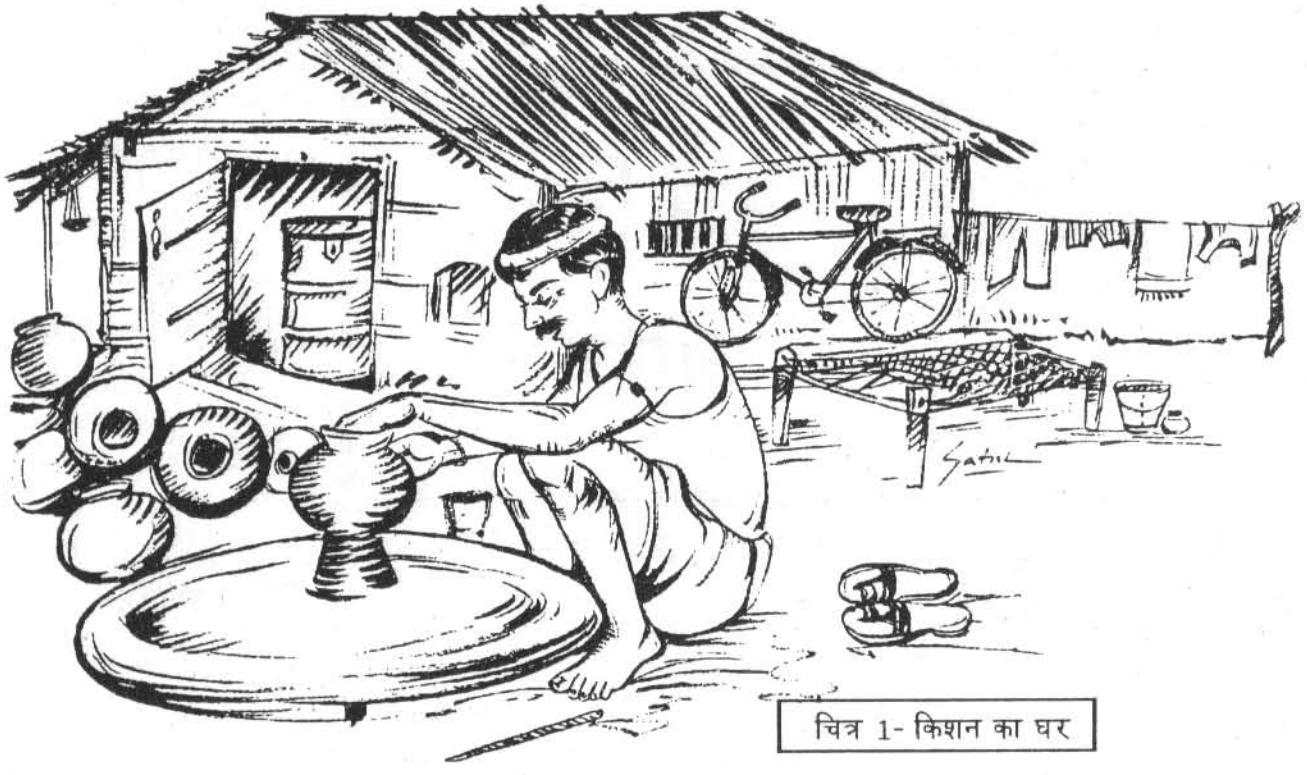

चित्र 1- किशन का घर

थे, न भाई-बहन और न पत्नी-बच्चे। बस. बिल्कुल ही अकेला रहता था और अपना सब काम खुद ही करता था।

सुबह-सुबह उठकर किशन लकड़ी काटने जंगल जाता। लकड़ी लाकर नदी चला जाता। कपड़े धोता, नहाता और पानी भरकर घर ले आता। घर पर चूल्हा जलाकर अपना खाना बनाता। खा-पीकर वह दिन भर अपने काम में लग जाता और मटके बनाता रहता।

बुधवार के दिन वह हाट-बाज़ार में बर्तन बेचने जाता। जो पैसे मिलते, उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे अनाज, कपड़ा, मिर्च-मसाला, जूते आदि खरीदकर घर लौटता। भोजन करने के बाद खाट बिछाकर सो जाता। खाट पर पड़े हुए कभी-कभी सोचता, "मैं कितना सुखी हूं, अकेले ही अपना सब काम कर लेता हूं। अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता हूं। मुझे किसी पर **निर्भर** (यानी किसी के सहारे) नहीं रहना पड़ता।"

किशन को क्यों लगता था कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं है?

तुम खाना बनाने और पढ़ाई के लिए किस पर निर्भर हो?

एक दिन किशन बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। अब वह एकदम अकेला महसूस करने लगा। वह सोचने लगा, "कोई साथ होता तो कम से कम मेरी देखभाल करता।" आखिर उसे वैद्य के पास जाना ही पड़ा। वैद्य ने उसे दवा दी। किशन ने वैद्य से कहा "मैं तो सोचा करता था कि मैं कितना सुखी हूं, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। पर आज मैं अपने अकेलेपन से परेशान हो गया।"

वैद्य ने जवाब दिया, "तुम अकेले रहते हो, फिर भी तुम कई लोगों पर निर्भर हो।" किशन ने चौंककर पूछा, "यह कैसे हो सकता है? मैं तो अपने सब काम खुद कर लेता हूं।" वैद्य ने पूछा, "तुम जो चीज़ें उपयोग करते हो क्या वे सभी चीज़ें तुम खुद बनाते हो?"

किशन सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, "ऐसी तो कई चीज़ें हैं जो मैं दूसरों से खरीदता हूं। मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद नहीं बनाता हूं।"

पृष्ठ 100 पर किशन के घर का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखकर बताओ कि किशन क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है?

चर्चा करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किशन खुद नहीं बनाता है? ये चीज़ें किसके द्वारा बनाई या उगाई जाती हैं?

इनमें से दो ऐसे शब्द चुनों जिनका अर्थ निर्भर से मिलता-जुलता है :

मिलकर, सहारा, मेहनत, स्वतंत्र, आसरा।

किशन अकेला रहता है, फिर भी बहुत लोगों पर निर्भर है। ये लोग उसकी ज़रूरत की चीज़ें उगाते या बनाते हैं, जैसे खाने के लिए अनाज, सब्ज़ी, पहनने को कपड़ा आदि। वह वैद्य पर भी निर्भर है जो उसका इलाज करता है।

आपस में चर्चा करके श्यामपट पर सूची बनाओ।

क. ऐसे कामों के उदाहरण दो जिन के लिए तुम दूसरों पर निर्भर हो।

ख. ऐसी चीजों के उदाहरण दो जिनके लिए तुम दूसरों पर निर्भर हो।

ग. ऐसे कौन से काम हैं जो तुम खुद करते हो?

घ. क्या ऐसी कोई भी वस्तु है जिसके लिए तुम या तुम्हारा परिवार दूसरों पर निर्भर नहीं है?

गांव-शहर एक दूसरे पर निर्भर

अभी तक तुमने पढ़ा है कि कैसे किशन दूसरे लोगों पर निर्भर है। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है।

लोग गांवों या शहरों में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग शहरों पर निर्भर हैं। उसी तरह शहर में रहने वाले लोग गांवों पर निर्भर हैं।

नीचें के चित्र में दिखाया गया है कि वस्तुएं कहां से कहां जा रही हैं। एक जगह का नाम है कोलीखेड़ा और दूसरी जगह का नाम है खैरतगढ़। चित्र में दिखाया गया है कि कुछ चीज़ें कोलीखेड़ा से खैरतगढ़ पहुंचाई जा रही हैं। उसी तरह खैरतगढ़ से भी कुछ चीज़ें कोलीखेड़ा पहुंचाई जा रही हैं।

चित्र देख कर इन प्रश्नों के उत्तर दो–

(क) ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जो कोलीखेड़ा से खैरतगढ़ ले जाई जाती हैं?

(ख) ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जो खैरतगढ़ से कोलीखेड़ा ले जाई जाती हैं?

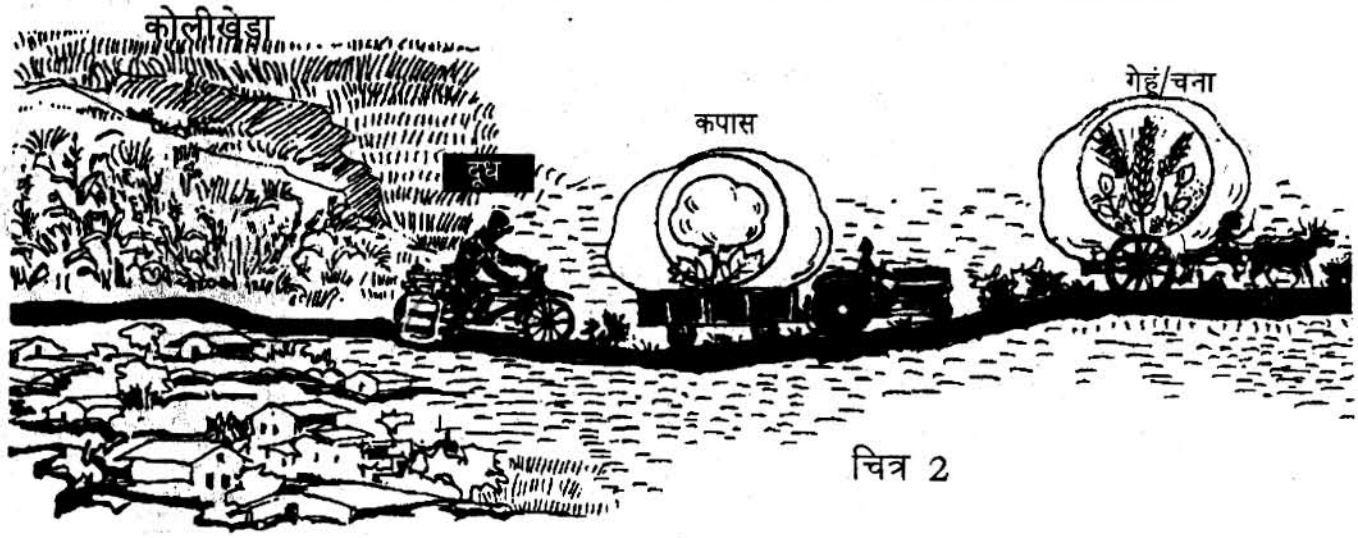

चित्र 2

(ग) सही/गलत बताओ:–

1. खैरतगढ़ से गेहूं कोलीखेड़ा जाता है।

2. कोलीखेड़ा से साइकिल खैरतगढ़ ले जाई जाती है।

3. कोलीखेड़ा में कपड़ा खैरतगढ़ से आता है।

4. कोलीखेड़ा से कपास खैरतगढ़ जाता है।

5. खैरतगढ़ चने के लिए कोलीखेड़ा पर निर्भर है।

6. कोलीखेड़ा हल्दी के लिए खैरतगढ़ पर निर्भर है।

7. खैरतगढ़ साइकिल के लिए कोलीखेड़ा पर निर्भर है।

8. कोलीखेड़ा गेहूं के लिए खैरतगढ़ पर निर्भर है।

9. खैरतगढ़ बर्तन के लिए कोलीखेड़ा पर निर्भर है।

तुम कोलीखेड़ा से खैरतगढ़ जाने वाली चीज़ों की सूची देखकर समझ गए होंगे कि कोलीखेड़ा किसी गांव का नाम है। यहां से बाहर जाने वाली चीज़ें खेतों में उगाई जाती हैं। अनाज, कपास, सब्ज़ी जैसी चीज़ें खेतों में होती हैं। उसी तरह खैरतगढ़ से कोलीखेड़ा जाने वाली अधिकतर चीज़ें कारखाने में बनाई गई हैं। इससे अन्दाज़ होता है कि खैरतगढ़ एक शहर है क्योंकि कारखाने ज़्यादातर शहरों में या उनके आसपास लगाए जाते हैं।

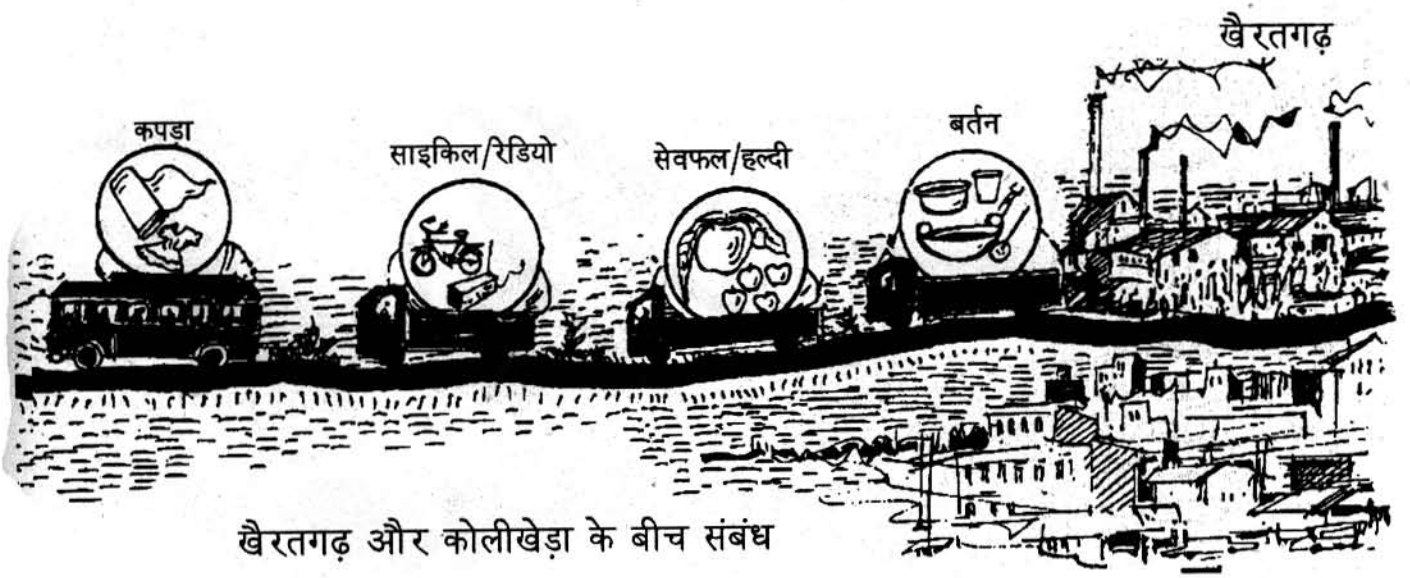

खैरतगढ़ और कोलीखेड़ा के बीच संबंध

तुम्हारे शहर में गांवों से क्या-क्या बिकने आता है?

तुम्हारे गांव में शहर से क्या-क्या चीज़ें लाई जाती हैं।

एक इलाका अन्य इलाकों पर निर्भर

कोलीखेड़ा और खैरतगढ़ के उदाहरण में तुमने गांव और शहर के बीच संबंध देखा। परन्तु कोलीखेड़ा और खैरतगढ़ में केवल एक गांव और एक शहर का संबंध नहीं है।

तुमने देखा कि कोलीखेड़ा गांव के लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें खैरतगढ़ शहर से आती हैं। पर क्या वे सब चीज़ें खैरतगढ़ में बनती हैं?

खैरतगढ़ से जो सामान कोलीखेड़ा जाता है वह सब खैरतगढ़ में नहीं बनाया जाता है। जैसा कि तुम इस चित्र में देख सकते हो, खैरतगढ़ में साइकिल और बर्तन बनाए जाते हैं। इनके अलावा कई दूसरी चीज़ें बाहर से आती हैं।

ये सब चीज़ें अलग-अलग **इलाकों** से खैरतगढ़ पहुंचती हैं। फिर वहां से कोलीखेड़ा व दूसरे गांवों तक ले जाई जाती हैं। इस तरह एक जगह बहुत दूर-दूर के इलाकों से जुड़ जाती है।

चित्र 3. खैरतगढ़ का अन्य इलाकों के साथ संबंध

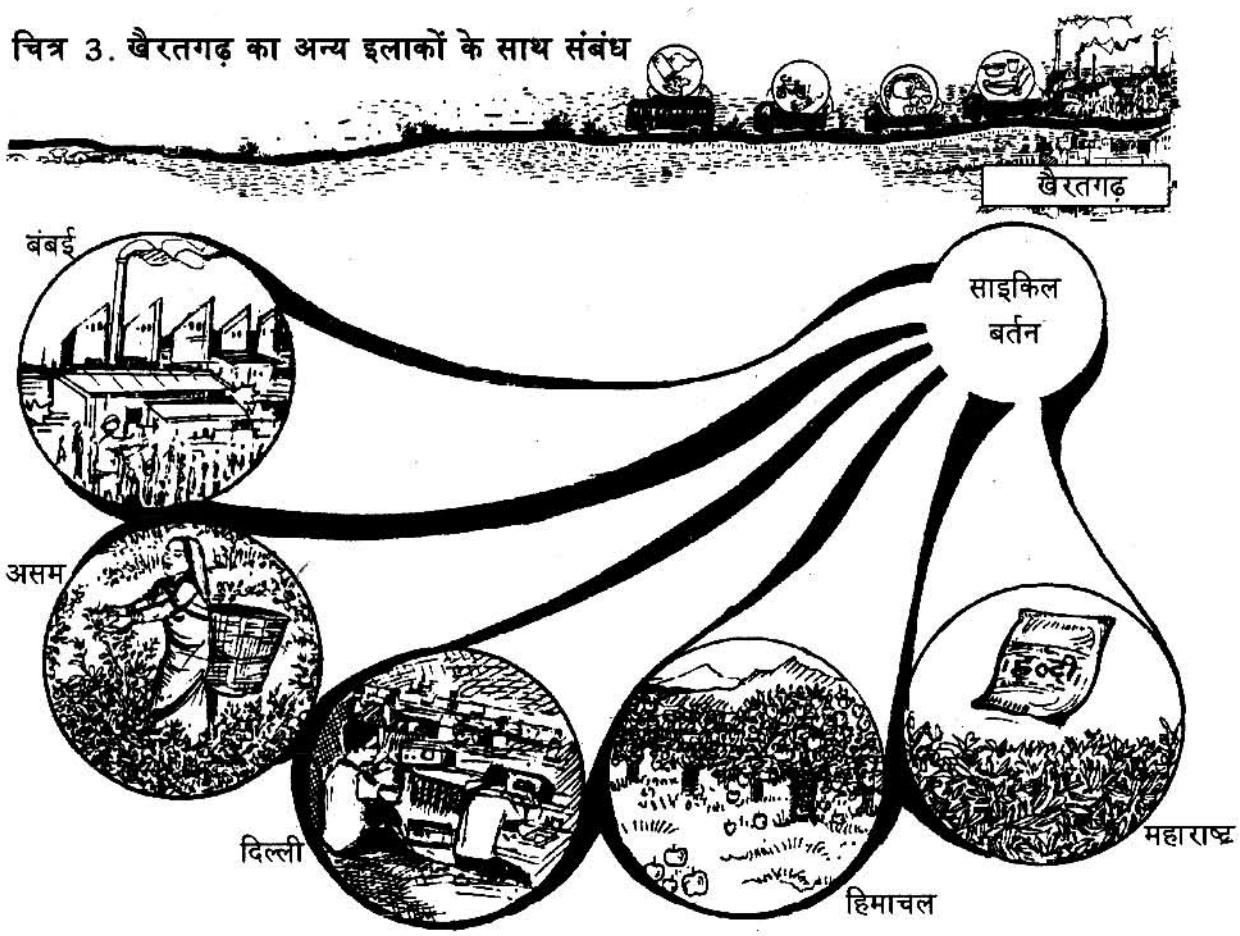

चित्र 3 में देखकर बताओ कि खैरतगढ़ में असम से क्या आता है?

खैरतगढ़ में सेबफल कहां से आता है?

खैरतगढ़ से जो सामान कोलीखेड़ा ले जाया जाता है, वह कहां-कहां से आता है?

एक इलाका दूसरे इलाकों पर निर्भर है, इस बात को तुम अपने गांव या शहर के अनुभव से भी समझ सकते हो।

नीचे कुछ वस्तुओं की सूची दी है। अपने शिक्षक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो:–

सूची – नारियल, माचिस, मटका, सुपारी, नमक, आलू, थ्रेशर, साइकिल, बीड़ी, तुअर, सीमेन्ट, नींबू, खाद, बिजली, हल्दी, चूना, कपड़ा, डीज़ल, गेहूं, गुड़, शक्कर, मिर्ची, पान का पत्ता।

(क) सूची से छांटकर उन चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हारे गांव/शहर या उसके आसपास बनती या उगाई जाती हैं।

(ख) नीचे दी गई तालिका में केवल उन चीज़ों के नाम भरो जो तुम्हारे इलाके के बाहर से आती हैं। हर वस्तु के आगे किसी एक इलाके का नाम लिखो जहां वह बनती या उगाई जाती है।

तुम्हारे इलाके का दूसरे इलाकों के साथ संबंध

वस्तुएं जो तुम्हारे इलाके के बाहर से आती हैं।	*कहां बनती या ऊगाई जाती है।*

एक इलाका अन्य इलाकों पर निर्भर होता है क्योंकि किसी एक इलाके में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होतीं। जैसे किसी एक इलाके में सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती हैं। कुछ इलाकों की मुख्य फसल चावल है तो कहीं और मुख्य फसल गेहूं है। कहीं पर आम होते हैं तो कहीं पर सेवफल ।

इसी तरह सभी प्रकार की चीज़ें एक ही जगह नहीं बनाई जाती हैं। कहीं कपड़ा बनाने के कारखाने हैं, कहीं साबुन बनाने के और कहीं खाद बनता है। अलग-अलग इलाकों या क्षेत्रों में अलग-अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसलिए दूसरे इलाकों से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत होती है। इस तरह से एक इलाका दूसरे इलाके पर निर्भर हो जाता है।

एक दूसरे पर निर्भर

तुमने देखा कि हम कई प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो व्यक्ति गांव में रहता है वह कुछ चीज़ों के लिए शहर पर निर्भर हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति शहर में रहता है वह कुछ चीज़ों के लिए गांव पर निर्भर हो जाता है। गांव से कई चीज़ें शहर पहुंचती हैं और शहर से कई चीज़ें गांव पहुंचती हैं।

इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी इलाके या क्षेत्र में रहता है तो वह दूसरे इलाकों पर निर्भर रहता है। किसी भी इलाके में सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं बनाई या उगाई जाती हैं। इसलिए कई चीज़ें दूसरे इलाकों से मंगवानी पड़ती हैं। इस कारण एक इलाका दूसरे पर निर्भर हो जाता है।

इतनी तरह से निर्भर होने के कारण हम एक दूसरे से कई प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे पर निर्भर होने की बात तुम कई पाठों में पढ़ोगे। भूगोल के पाठों में पढ़ोगे किसी क्षेत्र या इलाके की क्या **विशेष** बात है जिस के कारण कुछ चीज़ें वहां उगाई जाती हैं और इनका दूसरे इलाकों के साथ क्या लेन-देन होता है। इतिहास में पढ़ोगे कि गांव व शहर पहले कैसे बने और उनके साथ चीज़ों का लेन-देन कैसे बढ़ता गया।

नागरिक शास्त्र के पाठों में पढ़ोगे कि आजकल व्यापारी कैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। हाट-बाज़ार और मण्डी में कैसे लेन-देन होता है। व्यापारियों द्वारा हम दूसरे लोगों से कैसे जुड़ जाते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. किशन की तरह हम दूसरों पर कैसे निर्भर हैं?
2. क. गांव शहर एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं?
   ख. एक इलाका दूसरे इलाके पर कैसे निर्भर है?
3. चित्र देखकर बताओ कि कोलीखेड़ा जैसी जगह कई इलाकों से कैसे जुड़ी हुई है।
4. मानो एक दिन तुमने जो कपड़े पहने हैं वे बोल पड़े, "तुम्हें मालूम है कि हम तुम तक कैसे और किन लोगों की मेहनत से पहुंचे हैं? एक समय पर एक किसान ने अपने खेत में कपास बोया। फिर ——" इस कहानी को पूरा करो।
5. चित्र-2 देखो। सेवफल और हल्दी जैसी चीज़ें तो गांव में होती हैं। फिर वे कोलीखेड़ा गांव में क्यों नहीं होतीं?

6. नीचे दो जगहों की जानकारी दी गई है। उनके आधार पर चित्र-2 की तरह एक चित्र बनाओ।

नेरल और पाली के बीच संबंध

नेरल से पाली जाने वाली चीज़ें	पाली से नेरल जाने वाली चीज़ें
खाद	धान
बिजली-मोटर	केला
जूते	मसूर

7. क) क्या तुम्हारे यहां नीचे दी गई चीज़ें बाहर से बनकर आती हैं? तालिका भरो।

चीज़ें	कहां से बनकर आती हैं
अंग्रेजी कवेलू	
टाटपट्टी	
चाक	
आटा चक्की	
तुम्हारी पुस्तक	

ख) पता करो कि तुम्हारे इलायची, व लौंग कहां से आते है? जिन इलाकों में ये उगते हैं, क्या उन इलाकों की कोई विशेषता है?

8. प्रभातगढ़ शहर के बारे में यह जानकारी मिली है कि वहां बीड़ी बनाने के कई कारखाने हैं। प्लास्टिक के जूते भी वहां बनाए जाते हैं। वहां पर भवर तहसील के गांवों से रोज़ कई गाड़ियां सब्ज़ी भर के आती हैं। प्रभातगढ़ के बाज़ार में बिकने वाला खाद कोटा शहर के कारखानों से आता है। दूध के बड़े डिब्बे इंदौर से बन कर आते हैं। जिस प्रकार चित्र 3 में खैरतगढ़ के बारे में बताया है, उसी प्रकार इस जानकारी को चित्र द्वारा बताओ।

9. क्या तुम्हारे यहां ऐसी कोई उपज है या वस्तु बनती है जो दूर-दूर तक भेजी जाती है? तुम्हारे इलाके में क्या खास बात है जिस कारण यह चीज़ वहां होती है।

2. हाट-बाज़ार और मण्डी

तुम हाट-बाज़ार तो गए ही होगे, मण्डी भी गए होगे या उसके बारे में सुना होगा। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करो, हाट और मण्डी में क्या फर्क है।

हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हम जो चीज़ें उपयोग में लाते हैं, वे कई इलाकों से और कई लोगों से होती हुई हम तक पहुंचती हैं। चीज़ें पहुंचाने का काम व्यापारी करते हैं। व्यापारी अलग-अलग तरह की वस्तुएं लेकर हाट-बाज़ार में आते हैं। हाट-बाज़ार में चीज़ें खरीदी ओर बेची जाती हैं। आओ इस पाठ में देखें कि हाट-बाज़ार और मण्डी में कैसे काम होता है।

स्थायी दुकानों के बाज़ार

तुमने शहर का बाज़ार तो देखा होगा। वहां **स्थायी** दुकानें होती हैं जो लगभग रोज़ खुली रहती हैं। इनमें तरह-तरह की चीज़ें बिकती हैं। शहर में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक होने के कारण दुकानों का सामान रोज़ ही थोड़ा बहुत बिकता रहता है। सब खरीददार अलग अलग दुकानों में जाकर चीज़ों के भाव पता करते हैं और यह भी देखते हैं कि सामान कैसा है। फिर भाव-ताव करके सामान खरीदते हैं।

शहर का बाज़ार

बाज़ार में अगर किसी चीज़ की एक ही दुकान हो तो दुकानदार मनमाने भाव पर उसे बेच सकता है। पर बाज़ार में एक ही चीज़ कई दुकानों में मिल जाती है। सभी दुकानदार अपना-अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। किसी एक दुकानदार की मनमानी नहीं चलती।

क्या गांवों में भी बहुत सारी स्थायी दुकानें होती हैं? कुछ बड़े गांवों को छोड़कर, इस तरह के बाज़ार अधिकतर गांवों में नहीं होते। इसका क्या कारण है?

किसी शहर की तुलना में एक गांव में कम लोग रहते हैं। अगर गांव में बहुत सारी दुकानें हों तो उनका माल नहीं बिकेगा। इसलिए गांवों

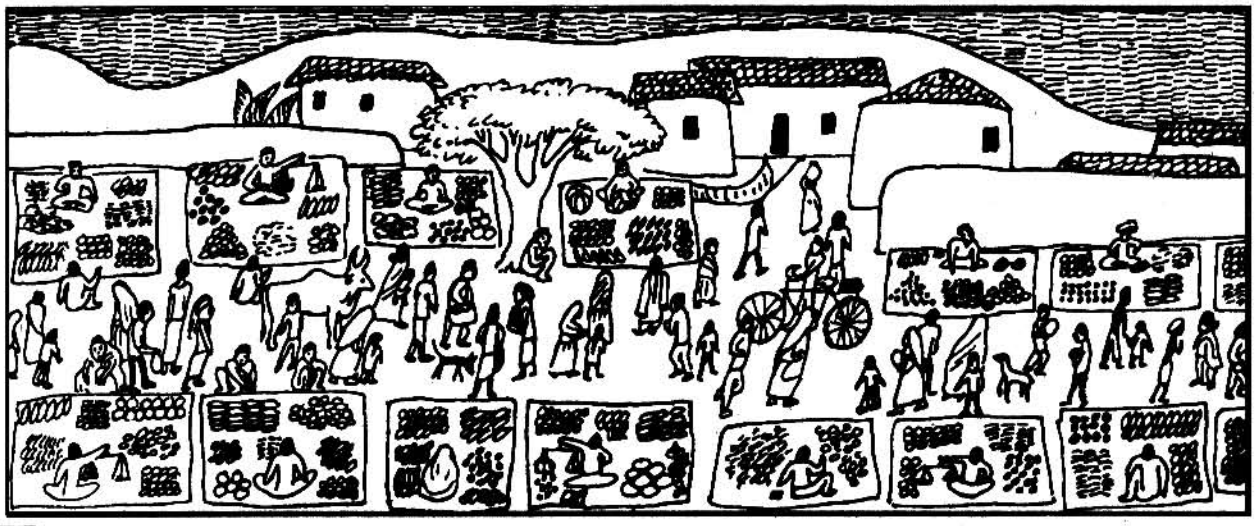

हाट

में शहरों की तरह बाज़ार नज़र नहीं आते। फिर गांव वालों के लिए बाज़ार कहां हैं? सभी गांवों के लोग सामान खरीदने के लिए शहर नहीं जा सकते। इसलिए गांव के लोग खरीदने-बेचने का काम **हाट-बाज़ार** में करते हैं।

सही विकल्प चुनो - "स्थायी" शब्द का अर्थ क्या है–
स्थान, एक जगह पर टिका रहना,
बदलते रहना।
शहर के बाज़ार और हाट-बाज़ार में दो फर्क बताओ।

गांव में हाट-बाज़ार

ऊपर हाट का यह चित्र शहर के बाज़ार के चित्र से कितना अलग दिखता है! ज़मीन पर चादर बिछाकर बैठे लोग ढेर सारी चीज़ें बेच रहे हैं। कहीं जूते बिक रहे हैं तो कहीं सब्ज़ी। कहीं कुम्हारों की दुकानें लगी हैं तो कहीं सब्ज़ी वालों की दुकानें।

हाट की दुकानें बाज़ार की दुकानों की तरह स्थायी नहीं हैं – यानी एक ही जगह पर टिकी नहीं रहतीं। हाट में दुकान लगाने वाला व्यापारी रात को दुकान समेट लेता है। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी दूसरी जगह के हाट में लगाता है।

तो क्या हर गांव में हाट लगता है? नहीं हर गांव में हाट नहीं लगता। जिस गांव में हाट लगता है, वहां आसपास के कई गांवों के लोग आते हैं। हाट का एक दिन निश्चित होता है। अधिकांश जगहों पर हफ्ते में एक बार हाट लगता है।

गांव के लोगों के लिए हाट बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए कपड़ा, जूता, चप्पल, सब्ज़ी, गुड़, मिर्ची आदि खरीदने के लिए ये लोग हाट पहुंचते हैं।

तुम्हारे आस-पास स्थायी बाज़ार कहां-कहां हैं, उन जगहों के नाम लिखो।
तुम्हारे आसपास हाट कहां-कहां लगता है, उन जगहों के नाम लिखो।

हाट-बाज़ार का एक व्यापारी

इटारसी शहर में एक व्यापारी रहता है – आफताब। चलो उससे मिलने चलते हैं। वह हाट में ताले और तरह-तरह के औज़ार बेचता है। वह

आफताब की दुकान। तुम्हें इस चित्र में क्या-क्या नज़र आ रहा है?

अपनी दुकान कई हाट-बाज़ारों में लगाता है।

हाट-बाज़ार में दुकान लगाने वाले बहुत से व्यापारी कई हाटों में घूमते रहते हैं। एक दिन यहां दुकान लगाई दूसरे दिन और कहीं। आफताब भी इसी प्रकार का एक व्यापारी है। क्या इन व्यापारियों का घूमने का कोई **क्रम** है या जहां मन करे वहां चले जाते हैं? अक्सर ये व्यापारी अपने **अनुभव** के अनुसार और अपनी सुविधा के हिसाब से घूमने का क्रम बना लेते हैं।

आफताब इटारसी में रहता है। वह सोमवार को सिवनी-मालवा के हाट-बाज़ार में बैठता है और मंगलवार को बाबई में। बुधवार को वह छुट्टी रखता है। गुरुवार को इटारसी के हाट-बाज़ार में दुकान लगाता है। फिर शुक्रवार को भौंरा, शनिवार को पाथाखेड़ा और रविवार को सारणी के बाज़ारों में जाता है। इस तरह आफ़ताब हफ्ते भर घूमता रहता है। सात दिन में उसका एक चक्र पूरा होता है। हफ्ते भर घूमते-घूमते आफताब थक जाता है। हफ्ते में छह दिन दुकान लगाना और सिर्फ एक दिन का आराम — थकेगा तो!

नीचे आफताब के सप्ताह का चक्र नक्शे में बताया गया है। तुम देख सकते हो कि किस तरह वह अपने घर के स्थान यानी इटारसी के आसपास घूमता है। वह कैसे जाता होगा, इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि नक्शे में सड़क और रेल के मार्ग भी बने हैं।

आफताब को रोज़ नई जगह दुकान लगानी होती है। जब दुकान जमानी हो तब वह चादर बिछाकर उस पर सामान रखता है। शाम को हाट-बाज़ार बंद होने के बाद हिसाब करके वापस पेटी में सामान रखता है। फिर घर लौट जाता है।

परन्तु शुक्रवार और शनिवार वह रात को घर

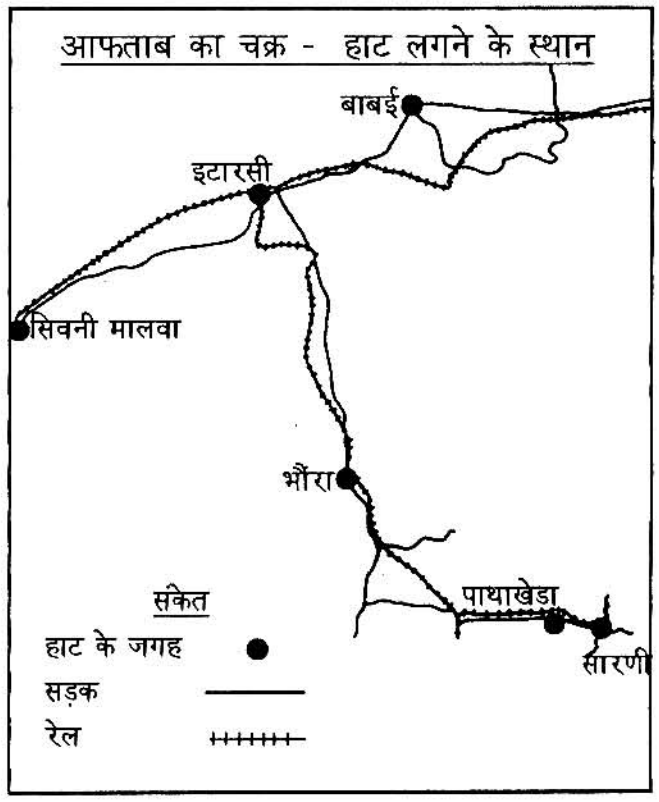

नहीं लौटता। भौंरा, पाथाखेड़ा और सारणी एक ही रास्ते पर हैं। इसलिए वह भौंरा में रात रुककर अगले दिन पाथाखेड़ा जाता है और पाथाखेड़ा में रात रुककर सारणी जाता है। सारणी से रविवार को इटारसी लौट आता है।

नीचे दी गई चक्र में आफताब के बारे में जानकारी पूरी करो।

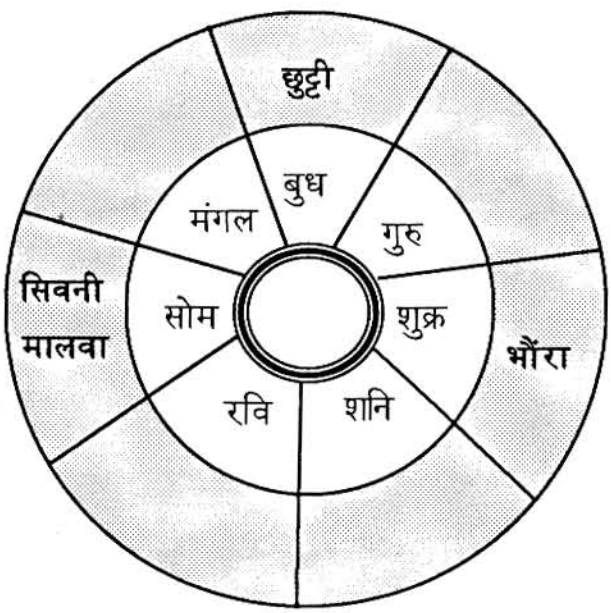

हर जगह के हाट में दस-बीस या उससे ज़्यादा गांवों से लाग आते हैं। इस तरह जो ताले आफताब बेचता है, वे लगभग दो सौ गांवों के लोगों तक पहुंच जाते हैं।

कई व्यापारी छुट्टी के दिन सामान लाने का काम करते हैं। सामान खरीदने का काम आफताब नहीं, उसके परिवार के लोग करते हैं। वे औज़ार और ताले खरीदने के लिए महीने में एक बार जबलपुर जाते हैं। जबलपुर से वे थोक में दो-तीन हज़ार रुपये का सामान लाते हैं।

इटारसी की तुलना में जबलपुर में ताले सस्ते मिल जाते हैं। जो ताला आफताब को 9 रुपये में पडता है उसे वह हाट में 12 रुपये में बेचता है। कभी-कभी आफताब सोचता है कि दिल्ली जाकर छह-आठ हज़ार रुपये का सामान लाना चाहिए। जबलपुर के व्यापारी भी दिल्ली के बाज़ार से ताले खरीदते हैं। दिल्ली के पास अलीगढ़ में ताले बनते हैं और वहां जबलपुर से भी सस्ते में ताले मिल सकते हैं।

आफताब क्यों घूमता रहता है?

आफताब के परिवार वाले जबलपुर से सामान क्यों लाते हैं?

तुम भी हाट जाते होगे। वहां किन गांवों के लोग आते हैं - सूची बनाओ।

किसी हाट के व्यापारी से पता करो कि उसका हफ्ते भर का चक्र क्या है? वह हफ्ते भर कहां-कहां अपनी दुकान लगाता है?

क्या वह व्यापारी हफ्ते के सातों दिन दुकान लगाता है? यदि नहीं, तो जिन दिनों वह दुकान नहीं लगाता, उन दिनों वह क्या करता है?

व्यापारी से मिली इस जानकारी को तालिका बनाकर उसमें भरो।

तुम अपनी तहसील के नक्शे में देखो कि तुम्हारी तहसील में कहां-कहां हाट लगता है। कई ऐसे शहर हैं, जहां पुराने समय से हफ्ते में एक दिन का बाज़ार लगता है। वहां के लोग स्थायी दुकानों वाले बाज़ारों में जाते हैं और हाट में भी।

तुमने 'एक दूसरे पर निर्भर' पाठ में देखा कि व्यापारियों के द्वारा सामान दूर-दूर तक पहुंचता है। हाट में दुकान लगाने वाले व्यापारी दूर-दूर के

गांवों तक जाते हैं। ये व्यापारी शहर के बाज़ार से सामान खरीदते हैं। बड़े शहरों (जैसे भोपाल, इन्दौर और जबलपुर) के बाज़ारों में सामान देश के कई इलाकों से आता है। कई गांवों के लोग भी हाट में दुकान लगते हैं। जूते, मटके, टोकरी जैसे सामान कारीगर हाट में लाकर बेचते हैं। कई किसान अनाज और सब्ज़ी भी बेचने आते हैं। इस प्रकार हाट-बाज़ार में पास और दूर की कई जगहों से सामान आता है। इस कारण कई जगहें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं।

गलत वाक्यों को सुधारो।

क) हाट में स्थाई दुकानें होती हैं।

ख) आफताब जो ताले सिवनी में बेचता है, वे अलीगढ़ में बनते हैं।

मण्डी

हमने देखा कि हाट-बाज़ार द्वारा दूर-दूर के गांवों तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार गांव से भी कई वस्तुएं बाहर जाती हैं। खेतों में उगने वाली फसलें दूर-दूर के इलाकों में पहुंचती हैं। यह कैसे होता है?

कई किसान अपनी उपज मण्डी में बेचने के लिए ले जाते हैं। मण्डी के व्यापारी उपज खरीद लेते हैं और दूर-दूर तक के इलाकों में पहुंचाते हैं।

चलो एक मण्डी में जाकर देखें कि वहां उपज कैसे बिकती है?

मण्डी के चित्र और हाट के चित्र में तुम्हें क्या अन्तर दिख रहा है?

मण्डी

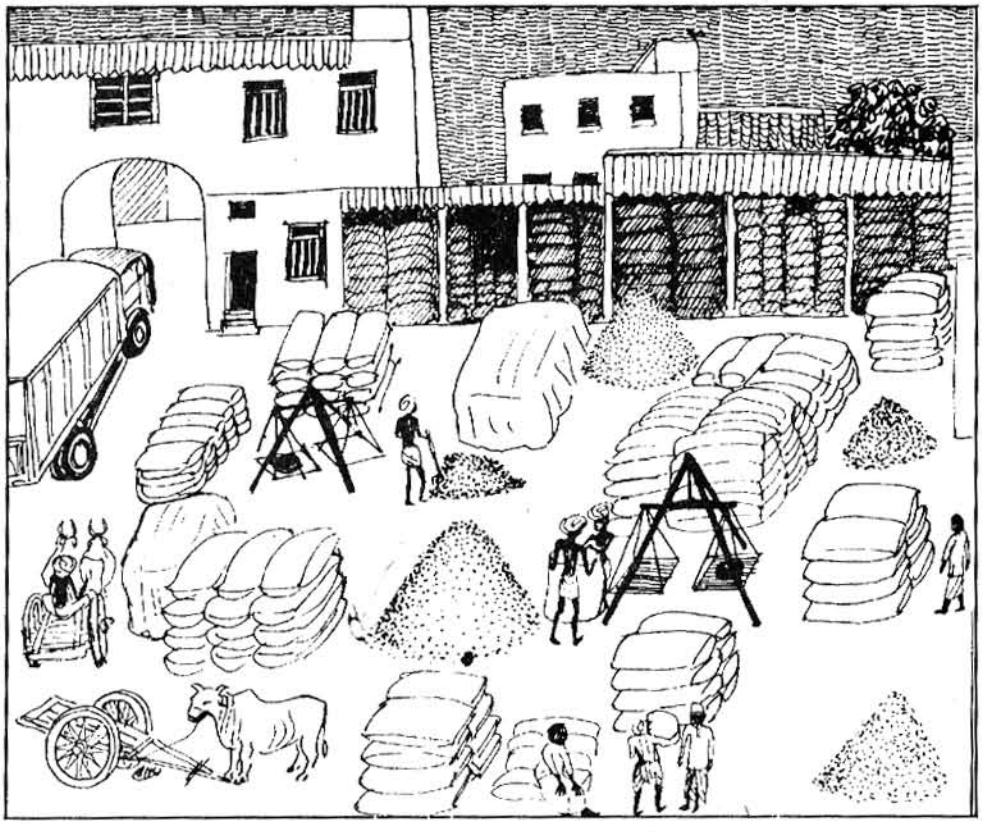

मण्डी के चारों ओर व्यापारियों के कोठों से घिरा मैदान है। सामने एक बड़ा सा फाटक है, जिसमें से लद्दे हुए ट्रक बाहर निकल रहे हैं। साथ ही मण्डी में आने वाले ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों का तांता भी लगा हुआ है। मैदान में बोरियों के कई ढेर दिख रहे हैं। व्यापारियों के कोठे भी बोरियों से भरे हैं। कोठों के सामने व्यापारियों के नामों के तख्ते लटके हैं - "धन्नूमल ऐंड संस", "छगनलाल ग्रेन मर्चेन्ट्स" आदि।

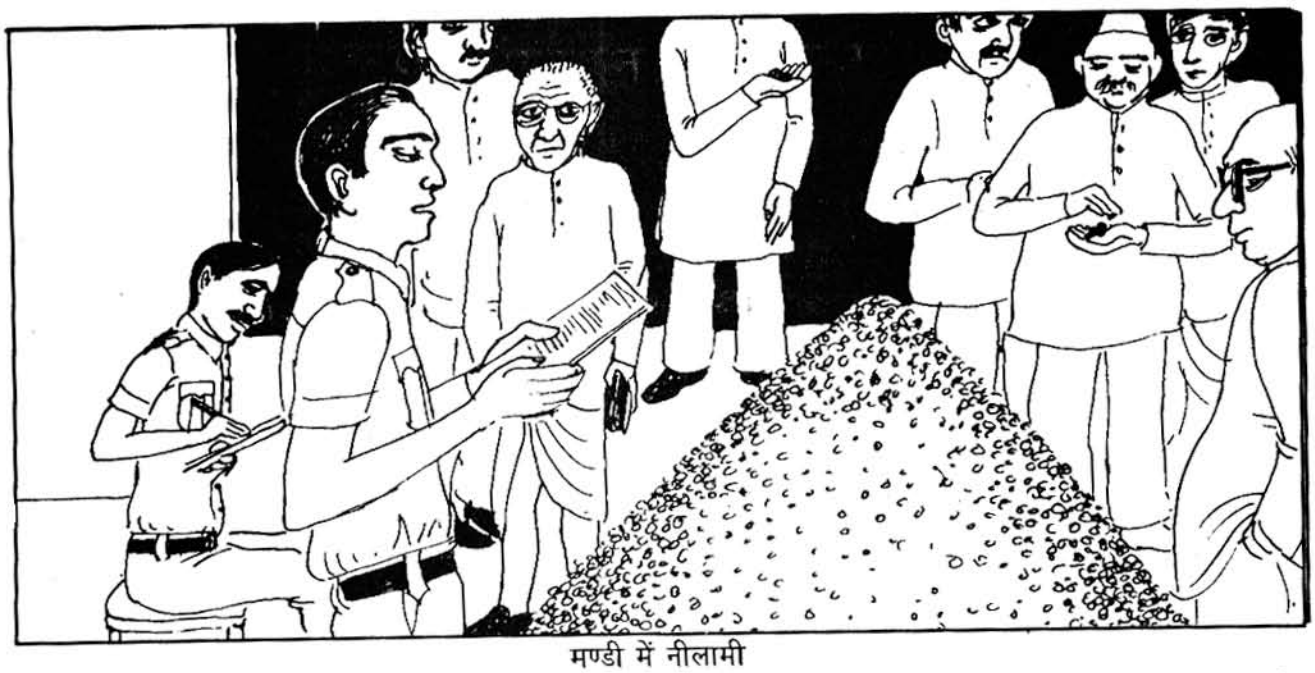

मण्डी में नीलामी

मैदान में यहां-वहां बड़े-बड़े कांटे (तराजू) रखे हैं, जिन पर अनाज तौला जा रहा है। कई जगह अनाज की खुली ढेरियां भी हैं, जिनके चारों ओर लोग खड़े हैं। देखें तो वहां क्या हो रहा है!

मण्डी में नीलामी द्वारा अनाज की बिक्री

एक जगह पर चने की **नीलामी** हो रही है। चना कन्हैयालाल किसान का है। वर्दी पहने दो आदमी खड़े हैं। उनके हाथ में रसीद पुस्तिका है। क्या तुम चित्र में इन्हें पहचान सकते हो? ये पुलिस वाले नहीं, **मण्डी समिति**के कर्मचारी हैं। एक **बोली** लगवा रहा है और दूसरा पर्ची बना रहा है। "गुलाबी चना 275" वर्दी वाले एक कर्मचारी ने बोली लगाई। कुछ व्यापारी आसपास खड़े हैं। कन्हैयालाल का चना हाथ में उठाकर परख रहे हैं। क्या किस्म है? दाने कैसे हैं? कीड़े तो नहीं हैं? कचरा कितना है? व्यापारी इन सब बातों का अन्दाज़ लगा रहे हैं।

एक व्यापारी ने बोली लगाई "280 रुपये"। वह उन व्यापारियों में से है, जिन्होंने मण्डी समिति के पास अपना **पंजीयन**(नाम दर्ज़) कराया हुआ है। मण्डी में जिनका पंजीयन हुआ हो, वे ही व्यापारी बोली लगा सकते हैं। मण्डी में घुसकर कोई भी व्यापारी बोली लगाना शुरू नहीं कर सकता है।

कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा "280 एक, 280 दो।" इतने में एक और व्यापारी बोला "290 रुपये।" इस तरह बोली लगती गई। कुछ देर बाद मूलचन्द सेठ ने 335 रुपये की बोली लगाई। मण्डी समिति का कर्मचारी चिल्लाया "335 एक, 335 दो .... 335 तीन।" यही नीलामी की आखिरी बोली हो गई। आखिरी बोली के बाद समिति के कर्मचारी ने कन्हैयालाल को पर्ची काट कर दी। पर्ची को पढ़कर पता चलता है कि कन्हैयालाल का चना 335 रु. प्रति क्विंटल के भाव से सेठ मूलचंद को बिक गया।

किसी एक बोली पर तीन तक की गिनती पूरी होने से पहले यदि कोई व्यापारी चाहे तो उसे काटकर ऊंची बोली लगा सकता है। तीन की गिनती

होने के बाद कोई व्यापारी चाहे भी तो उससे ऊंची बोली नहीं लगा सकता है।

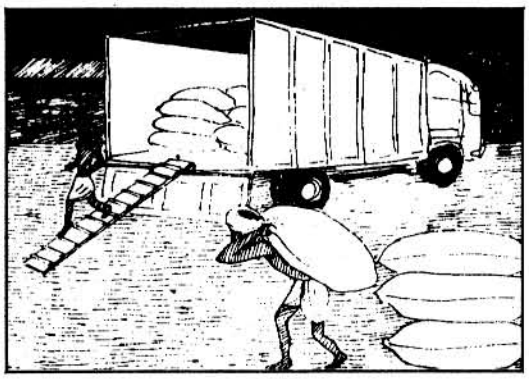
हम्माल

कन्हैयालाल और मूलचन्द ने कांटे पर चना तुलवाया। दस बोरी (दस क्विंटल) चना निकला। चना तुलवाने के बाद सेठ मूलचन्द ने पर्ची में लिखे भाव तथा वज़न के अनुसार बिल बनाया और कन्हैयालाल को रुपये दिये। उसने बोरों को हम्मालों द्वारा अपने कोठों पर पहुंचवाया। मूलचन्द ने और भी चना खरीदा है। उसे यह सारा चना इन्दौर भिजवाना है।

बताओ सेठ मूलचन्द ने कन्हैयालाल को कितने रुपये दिए?

कन्हैयालाल के चने की नीलामी 335 रुपये प्रति क्विंटल पर तय हुई थी। पर एक दूसरे किसान भीरूलाल को अपने चने के लिए 320 रुपये प्रति क्विंटल ही मिले। इस तरह सब किसानों के चने की नीलामी अलग-अलग बोलियों पर तय हुई।

कन्हैयालाल और भीरूलाल का चना अलग-अलग दामों पर क्यों बिका चर्चा करो।

मण्डी से माल खरीदने वाले व्यापारियों को मण्डी समिति को कुछ पैसे देने होते हैं। जैसे, मूलचन्द ने दिन भर में जितने रुपए का माल खरीदा उसका 1% यानी 100 रुपया में एक रुपया मण्डी समिति को दिया। इस चने की खरीदी पर उसने मण्डी समिति को 33.50 रुपये दिये। मण्डी समिति नीलामी करवाने के लिए यह पैसा व्यापारियों से लेती है। इसे **मण्डी शुल्क** कहते हैं।

मण्डी में चने के अलावा दूसरे अनाजों की भी नीलामी हो रही है। मण्डी के कर्मचारी हर जगह बोलियां लगवा रहे हैं। खूब ज़ोरों का शोर है। कोई अनजान व्यक्ति पहली बार आये तो शायद भौंचक्का रह जाए।

मण्डी समिति

मण्डी में बिक्री की पूरी व्यवस्था मण्डी समिति की देख-रेख में हुई। मण्डी समिति कैसे बनती है और उसका सदस्य कौन होता है? मण्डी समिति चुनाव द्वारा बनाई जाती है। चुनाव कौन लोग करते हैं? हर मण्डी का एक क्षेत्र या इलाका तय किया गया है। उस इलाके में आने वाली पंचायतों के सदस्य और मण्डी में खरीदने वाले पंजीकृत व्यापारी मिलकर समिति को चुनते हैं। समिति के सदस्य 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। मण्डी समिति के सदस्य व्यापारी और किसान दोनों होते हैं। लेकिन नियम यह है कि समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष *किसान* ही हो सकता है। समिति में केवल दो व्यापारी सदस्य हो सकते हैं।

मण्डी में वर्दी पहने कर्मचारी कौन हैं और ये क्या करवाते हैं?

मण्डी समिति कैसे बनती हैं? सही विकल्प चुनो– पंचायत के सदस्य चुनते हैं/ व्यापारी चुनते हैं,/ सरकार तय करती है/ पंचायत के सदस्य और व्यापारी चुनते हैं।

अपने विचार बताओ – मण्डी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसान ही होना क्या उचित है?

मण्डी और हाट-बाज़ार की तुलना

तुमने मण्डी में देखा कि खरीदी-बिक्री कई बोरियों के हिसाब से हो रही थी। कोई भी दो-चार किलो बेचता या खरीदता नहीं था। लेकिनहाट-बाज़ार में लोग अपने-अपने परिवारों के लिए छोटी मात्रा में खरीदते हैं। छोटी मात्रा में खरीदने-बेचने को **खेरची** का व्यापार या फुटकर व्यापार कहते हैं।

व्यापारी मण्डी से जो सामान खरीदते हैं, उसे वे आगे बेचते हैं। बड़ी मात्रा में व्यापार को **थोक** व्यापार कहा जाता है।

थोक व्यापार न केवल अनाज मण्डी में होता है, परन्तु सभी चीज़ों की अपनी मण्डी या खास थोक के बाज़ार होते हैं। सब्ज़ी मण्डी, लोहा मण्डी, कपड़ा मण्डी, तेल मण्डी आदि जैसे थोक बाज़ार हैं। कुछ थोक बाज़ारों में सारा खरीदना-बेचना नीलामी से ही होता है। लेकिन अन्य थोक बाज़ारों में दूसरे तरीकों से खरीदा बेचा जाता है। जैसे लोहा मण्डी या थोक कपड़ा बाज़ार में नीलामी नहीं होती।

इन सभी थोक बाज़ारों में बिक्री बड़ी मात्रा में होती है। यदि कोई एक किलो तेल या अनाज या एक मीटर कपड़ा खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता है। थोक में खरीदने के भाव भी खेरची से कम होते हैं।

आढ़त प्रथा

मण्डी के कानून में1986 में कई बदलाव किए गए। उसके पहले मण्डी समिति के कर्मचारी नीलामी नहीं करवाते थे। अनाज की सारी नीलामी **आढ़तियों** के हाथ में थी। किसान अपना अनाज ले जाकर मण्डी में आढ़तिए की दुकान पर रख देता था, और अनाज बेचने के लिए नंबर लगा देता था। जब उसका अनाज बेचने की बारी आती तब आढ़तिया बोली लगवाता। भाव तय होने पर आढ़तिया किसान को पैसे दे देता। बाद में आढ़तिया व्यापारी से यह पैसे वसूल कर लेता था। बिक्री करवाने के लिए और व्यवस्था करने के लिए आढ़तिया किसान से कुछ पैसे (आढ़त)लेता था।

देवास शहर के पास खरेली गांव का एक छात्र है श्रीधर। उसने 1986 से पहले की देवास मण्डी की एक कहानी लिखी थीं जो "चकमक" पत्रिका में छपी थी। कहानी इस प्रकार है:

श्रीधर की कहानी

मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में सोयाबीन बेचने के लिए देवास कृषि उपज मण्डी में गए। मण्डी प्रांगण में हम्माल द्वारा ट्रक से माल उतरवाया। हम्माल को पैसे देने लगे, तब दोनों बड़ी देर तक लड़ते रहे।

फिर मैंने माल की देख-रेख की और पिताजी बाज़ार में घूमने गए। और वहां कुछ नाश्ता-पानी करके मेरे लिए लाये। मैंने भी नाश्ता किया। इसी बीच में एक व्यापारी मेरे पिताजी से पूछने लगा, "ए बुड्ढे तेरा सोयाबीन क्या भाव देगा।" तब पिताजी ने कहा, "सेठ साहब आप ज़रा तमीज़ से बोलो और अपनी सफेदी का ख्याल करो क्योंकि आप को भी अगर ऐसे कहूं तो आप को भी क्रोध आएगा।"

तभी एक दूसरा व्यापारी आया और उसने कहा, "दादा साहब, आप सोयाबीन किस भाव में देंगे?" मेरे पिताजी ने कहा, "बाज़ार में क्या भाव चल रहा है, उसके मुताबिक बेचूंगा।" इसी बीच माल बेचने का जो नंबर आढ़तिए के पास

आढ़तिया नीलामी करवाते हुए

लगा हुआ था, वह नंबर आ गया। बोली लगने लगी। 395 की आखिरी बोली लगी। प्रति क्विंटल 395 का भाव मेरे सोयाबीन का तय हुआ।

सोयाबीन तुला और दो क्विंटल निकला। कुल 790 रुपये का सोयाबीन हुआ। आढ़तिया बड़ा चतुर था। पिताजी को गांव का बुड्ढा और सीधा समझकर उसने बिल में 670 रुपये का योग दिखाया। पिताजी पैसे लेने आढ़तिए की दुकान पे जाने ही वाले थे कि मैंने कहा– "पिताजी बिल मुझे तो बताओ।"

"तू क्या समझेगा।" पिताजी ने कहा। "पिताजी मैं आठवीं में पढ़ता हूँ, मैं भी समझता हूं।" मैंने कहा।

तब पिताजी ने मुझे बिल दिया। बिल में सोयाबीन दो क्विंटल लिखा था, उसका मूल्य 690 रुपये, तथा 20 रुपये आढ़तिए की आढ़त काटकर 670 रुपये का बिल था।

"पिताजी इसमें तो 100 रुपये कम लिखे हैं" मैंने पिताजी से कहा। "नहीं बेटे ऐसा नहीं होगा।" पिताजी बोले। "पिताजी दो क्विंटल के कितने रुपये होते हैं?" मैंने पूछा। "790 रुपये" पिताजी बोले। "इसमें से 20 रुपये आढ़त के कम कर दो।" मैंने कहा। "अब 770 रुपये हुए" तब पिताजी बोले। "इसमें तो 670 रुपये लिखे हुए हैं" मैंने कहा।

तब मैं और पिताजी उसी आढ़तिए के पास गए और बोले कि इस बिल में आपने 100 रुपये कम लिखे हैं। आढ़तिए ने बिल ठीक किया, मेरी पीठ ठोंकी और कहा कि लड़का बुद्धिमान है। फिर उसीने रुपये दिये। पिताजी ने कहा "वाह बेटे तूने तो कमाल कर दिया, नहीं तो 100 रुपये तो आढ़तिया पार कर जाता।"

यह कहानी मण्डी समितियों द्वारा नीलामी करवाने से पहले के दिनों की झलक दिखाती है। तब किसानों को बिक्री करवाने के लिए आढ़त देनी होती थी। श्रीधर की कहानी में तो आढ़तिये ने तुरन्त नकद भुगतान कर दिया। लेकिन उन दिनों सभी आढ़तिए किसानों को समय पर भुगतान नहीं करते थे। किसानों को अपना पैसा लेने के लिए आढ़तियों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। उनके साथ धोखा भी हो जाता था।

पहले बिक्री कौन करवाता था, और आजकल कैसी होती है?

यदि श्रीधर के पिताजी आज मण्डी में सोयाबीन बेचते तो क्या उन्हें आढ़त देनी पड़ती?

मण्डी शुल्क कौन देता है और किसे दिया जाता है?

कानून में बदलाव क्यों किया गया?

जुलाई 1986 में मण्डी के कानून में जो बदलाव किए गये उनके अनुसार आढ़तियों की जगह अब मण्डी समिति अपने कर्मचारियों द्वारा अनाज की नीलामी करवाती है।

कानून में बदलाव के तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण यह है कि किसान को आढ़त नहीं देनी पड़े। पहले, आढ़तिया सौदा तय करने के लिए किसानों से आढ़त वसूल करता था। अब केवल खरीदने वाला व्यापारी, मण्डी समिति को शुल्क देता है। इस कमीशन के रुपयों से मण्डी समिति मण्डी का काम-काज करवाती है।

कानून में बदलाव का दूसरा कारण है, नीलामी करवाने में किसानों के साथ कोई धोखा नहीं हो। अतः मण्डी समिति ही बोली लगवाती है।

बहुत साल पहले जब मण्डी का कानून ही नहीं बना था, उस समय अनाज की बिक्री कई तरीकों से होती थी। किसानों के लिए आढ़तिया अपने तरीकों से सौदा तय करवाता था। मण्डी का कानून बनने के बाद कृषि उपज की बिक्री केवल खुली नीलामी द्वारा ही हो सकती है। यह नीलामी किसानों के सामने एक जगह की जाती है।

तीसरा कारण है, किसानों को भुगतान तुरन्त मिले। मण्डी समिति का मुख्य काम है कि वह व्यापारी से किसान को उसी दिन भुगतान दिलवाये। व्यापारी भुगतान नहीं करे तो किसान मण्डी समिति से शिकायत कर सकते हैं।

नए कानून से किसानों को फायदा हो रहा है, पर पूरी तरह नहीं। कुछ मण्डियों में व्यापारी किसानों को तुरन्त भुगतान नहीं करते हैं, और किसानों को पैसों के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ जगहों पर समिति भी अपना काम ठीक से नहीं करती है और कानून के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नीचे दिये गए उदाहरण में मण्डी समिति की कुछ कमियां नज़र आती हैं। कुछ समय पहले एक समाचार पत्र में यह खबर छपी थी।

अनाज मण्डी में आज धरना ज़ारी

(6 फरवरी 1991) निप्र – आज तीसरे दिन भी यहां किसानों के धरने के कारण मण्डी के काम-काज ठप्प रहे। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में फरार एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज़ कर लिया है। इस मामले की जांच हेतु भोपाल से आए मण्डी के सरकारी अधिकारी कल रात तथा आज दोपहर मण्डी के कागज़ातों की जांच करते रहे। उधर धरने पर बैठे किसान नेताओं ने घोषणा की कि जब तक किसानों के 20 लाख के भुगतान और मण्डी में फैली अव्यवस्था का निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मण्डी कानून के अनुसार किसानों को किन-किन बातों से फायदा हो सकता है?

इस उदाहरण में कानून की कौन सी बात सफल नहीं हो पा रही है?

तम्हारे यहां की मण्डी

तुम्हें अपने यहां पता करना है कि लोग मण्डी कानून के बारे में क्या सोचते हैं।

यदि तुम गाँव में रहते हो तो पता करो:–
क. तुम्हारे गांव के पास अनाज मण्डी कहां है?
ख. अनाज मण्डी करीब होने से क्या कोई फायदा होता है, समझाओ।
ग. तुम्हारे गांव में कई किसान होंगे जो अनाज बेचने मण्डी नहीं जाते। इसके क्या-क्या कारण हैं?
घ. कुछ किसानों से पता करो कि मण्डी कानून से उनको क्या फायदा हुआ है?
यदि तुम शहर में रहते हो तो पता करो:–
क. क्या तुम्हारे शहर में अनाज मण्डी है, कहां?
ख. तुम्हारे शहर में अनाज कहां-कहां से आता है?
ग. क्या तुम्हारे यहां की मण्डी से अनाज दूसरे शहरों को भी जाता है? कहां-कहां?
घ. शहर के व्यापारियों से पूछकर बताओ कि मण्डी कानून कितना सफल हो पाया है?

हमने मण्डी में हो रहे अनाज व्यापार के बारे में पढ़ा। पर हर किसान मण्डी में आकर अपनी उपज नहीं बेच पाता है। किसान अपने खेतों की फसल कई जगह बेचते हैं। कई किसान अपनी उपज गांव में ही दूसरे किसानों को बेचते हैं। कुछ किसान गांव में आए व्यापारी को बेचते हैं और कुछ किसान पास के शहर जाकर व्यापारियों को बेच आते हैं। गांव में ऐसे भी किसान होते हैं जो हाट-बाज़ार में थोड़ी उपज बेच देते हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. पृष्ठ 113 में बने चित्र और पृष्ठ 116 पर बने चित्रों की तुलना करते हुए बताओ कि मण्डी के नियमों में क्या बदलाव आए हैं?
2. मण्डी में नीलामी कैसे होती है? नीलामी करवाने के लिए किसे और कितने पैसे भरने होते हैं?
3. कई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह समझाओ कि वह हाट के द्वारा कैसे जुड़े हैं और मण्डी द्वारा कैसे जुड़े हैं।
4. थोक व्यापार किसे कहते हैं – दो वाक्यों में लिखो।
5. पृष्ठ 114 को पढ़ कर बताओ कि मण्डी समिति का चुनाव कैसे होता है?
6. आढ़त प्रथा से किसानों को क्या परेशानियां होती थीं?
7. मण्डी और हाट में क्या फर्क है? नीचे दी गई तालिका को कापी में उतारकर भरो।

	मण्डी	हाट
दुकानें		
बेचने वाले		
खरीदने वाले		
खरीदने-बेचने के तरीके		

3. ग्राम पंचायत

यह पाठ ग्राम पंचायत के बारे में है। उपशीर्षकों को पढ़कर और चित्र देखकर अंदाज़ लगाओ कि इस पाठ में किन बातों के बारे में लिखा है?
तुम्हारे गांव में ग्राम-पंचायत के चुनाव कब हुए? चुनाव के बाद ग्राम पंचायत ने क्या काम किए? आपस में चर्चा करो।

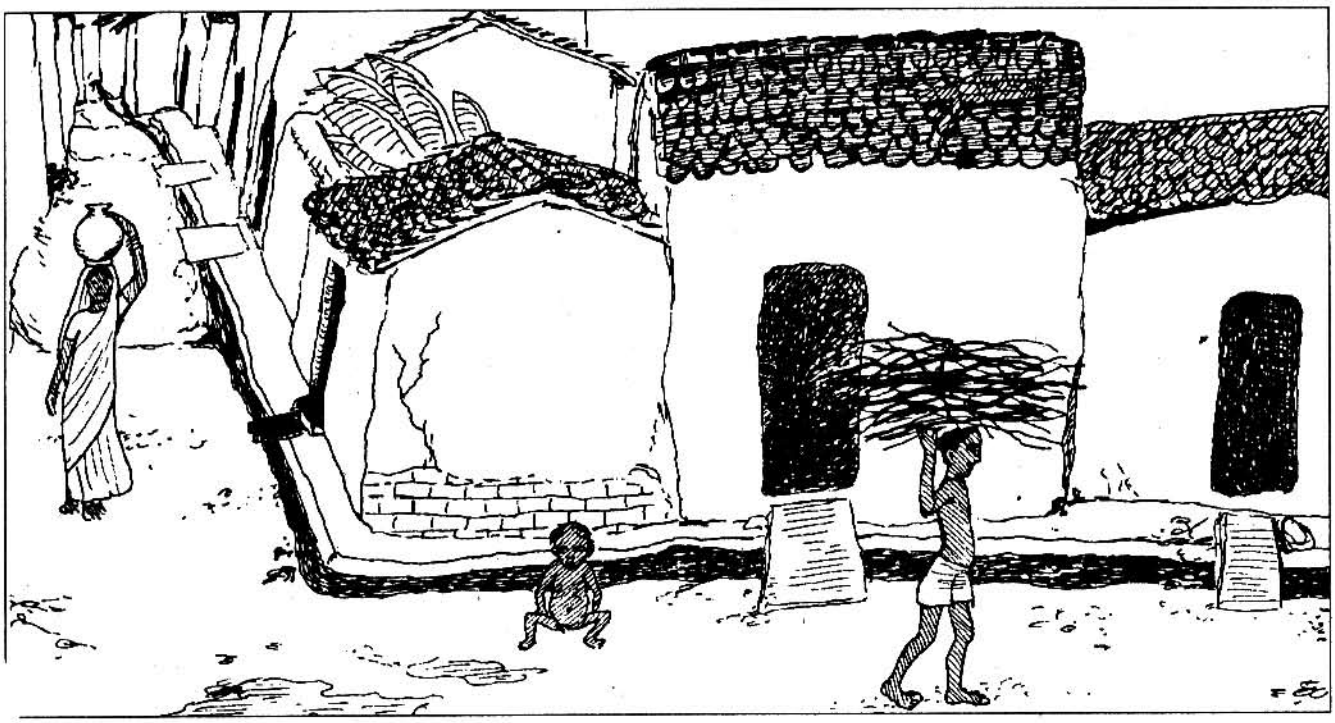

सब के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

एक गांव है कनियाखेड़ी। गांव में कुल दस मोहल्ले हैं। एक मोहल्ले के घरों का सारा गंदा पानी सड़क पर बहकर जमा हो जाता है। सड़क पर कोई नाली नहीं है। इसीलिए वहां हमेशा ही कीचड़ बनी रहती है।

एक दूसरे मोहल्ले का कुआं दो साल से सूखा पड़ा है। दूसरा कुआं बहुत दूर है। इतनी दूर से पानी लाना मुश्किल तो है मगर वो भी क्या करें? पानी तो सबको पीना है। तुम पूछ सकते हो कि वे अपना कुआं क्यों नहीं ठीक करते? लेकिन मोहल्ले का कुआं किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मोहल्ले भर के लोग इसका उपयोग करते हैं।

सड़क हो या कुआं, पुल हो या रपटा, ये सब किसी एक आदमी या परिवार के अपने तो होते नहीं। गांवों या शहरों में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती

हैं जो सबके काम आती हैं। सारे लोग इनका उपयोग करते हैं। ऐसी सुविधाओं को **सार्वजनिक सुविधा** कहते हैं।

लेकिन जब ये सुविधाएं खराब हो जाएं तो इन्हें सुधरवाए कौन? इनकी देखभाल कौन करे? मान लो कोई एक आदमी या परिवार इन चीज़ों पर कब्ज़ा कर ले तो समस्या कौन सुलझाए? इन सब चीज़ों की सुरक्षा और देखभाल का इंतज़ाम तो करना होगा। जब सब उपयोग करते हैं तो **प्रबंध** (इंतज़ाम) भी तो सबको मिलकर ही करना होगा।

इस तरह की स्थानीय सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने और सुविधाओं का प्रबंध करने का एक तरीका बनाया गया है। गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये **ग्राम पंचायत** बनाई जाती है। शहरों में यही काम **नगरपालिका या नगरनिगम** द्वारा किया जाता है।

गुरुजी से चर्चा करो कि 'सार्वजनिक' का क्या अर्थ है।

तुम्हारे गांव में कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं?

इस पाठ में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के बारे में जानने के लिये आओ अब कनियाखेड़ी चलें।

एक कहानी

ग्राम पंचायत कैसे बनती है

एक दिन की बात है। गर्मी का महीना था। तपती दोपहरी में किसी ने धन्ना के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बेटी लखिया ने दरवाज़ा खोला।

दरवाज़ा खटखटाने वाला गांव का पटवारी था। वह **मतदाता सूची** (वोटर लिस्ट) में नाम लिखने आया था। पटवारी ने बताया कि दो-तीन महीनों में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह घर के सब लोगों के बारे में पूछने लगा।

मतदाता सूची

लखिया ने ग्राम पंचायत के बारे में सुन रखा था। वह पंचायत के बारे में और जानना चाहती थी। पर इससे पहले कि वह अपने सवालों की झड़ी शुरू करती, पटवारी ने उससे पूछा, "हां तो अपने घर के सदस्यों के नाम और उम्र बताओ।"

"पर आप उनके नाम और उम्र क्यों लिखना चाहते हैं?" लखिया ने पूछा।

"मैंने बताया न, ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस लिये इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं।" पटवारी ने जवाब दिया।

"सबसे पहले मेरा नाम ही लिख लीजिए न, मैं भी वोट दूंगी।" लखिया बोली।

"नहीं लखिया", पटवारी ने कहा। "अभी तुम वोट नहीं दे सकतीं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोग ही वोट दे सकते हैं। तुम अपने घर के ऐसे लोगों के नाम बताओ जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।"

लखिया थोड़ा उदास हो गई थी। फिर भी वह बताने लगी, "बापू का नाम और उम्र तो आप जानते ही हो। मेरी मां का

नाम सूखीबाई है। उमर करीब चालीस साल होगी।" लखिया ने बताया।

"फिर मेरी बड़ी बहन है फत्तो। उसकी शादी हो गई है। सैलनपुर में ससुराल है उसकी।"

पटवारी लखिया की बात काटते हुए बोला, "नहीं फत्तो का नाम तो सैलनपुर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आएगा। इस गांव की सूची में सिर्फ इसी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के नाम ही लिखने हैं।"

"फिर मेरी भाभी तिजिया तो दूसरे गांव से आई है उसका क्या होगा?" लखिया बोली।

पटवारी ने कहा, "तुम्हारी भाभी अब इस गांव में वोट डाल सकती है। अच्छा, और कौन-कौन रहता है तुम्हारे घर पर?"

"मेरा बड़ा भाई, भैयालाल। वह मेरे से 8 साल बड़ा है। एक मेरा भतीजा है, पर वो अभी छोटा है। उसके अलावा मेरी दादी है, नाम है चुनीबाई। पर वो तो बहुत बूढ़ी है। वो कहां वोट डालेंगी।" लखिया बोली।

"हां क्यों नहीं, लखिया, 18 से अधिक उम्र के सभी लोग वोट डाल सकते हैं।"

ग्राम-पंचायत का इलाका

नाम बताते बताते लखिया के मन में ग्राम पंचायत के बारे में कई सवाल आ रहे थे। इस से पहले कि पटवारी जाने को खड़ा होता, लखिया ने उससे पूछा, "क्या हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है?"

"कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है।" पटवारी ने उत्तर दिया।

लखिया बोल पड़ी, "इतने लोग तो बड़े गांवों में ही रहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बड़े गांवों में ग्राम पंचायत होती है? फिर 300-400 लोगों के छोटे गांवों का क्या होगा?"

पटवारी ने समझाया, "छोटे गांवों को आमतौर पर बड़े गांवों के साथ मिला दिया जाता है। यानी एक ग्राम पंचायत तीन-चार गांवों के लिए काम करती है। जैसे-कनियाखेड़ी ग्राम पंचायत में तीन और गांव हैं - पगांवा, नूनपुर और मानीगांव।"

पंच और सरपंच

"पटवारी जी, ग्राम-पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं न," लखिया ने कहा।

"हां, ठीक कहा तुमने। एक ग्राम पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं।" पटवारी ने कहा।

लखिया ने फिर पूछा, "पटवारी जी, इन पंचों का काम क्या होता है?"

पटवारी: "ये पंच मिलकर ग्राम पंचायत के गांवों में सफाई, पानी, सड़क जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की देखरेख करते हैं। यदि किसी गांव या मोहल्ले में इन सुविधाओं की कमी या गड़बड़ी हो तो वहां के पंच इसके बारे में ग्राम पंचायत को बताता है। फिर पंचायत इन सुविधाओं को सुधारने की कोशिश करती है।"

लखिया: "अगर सभी पंच एक ही मोहल्ले

या एक ही गांव के हो जाएं, तो दूसरे मोहल्लों के बारे में कौन ध्यान देगा?"

पटवारी: "ऐसा न हो, इसीलिए तो हर ग्राम पंचायत क्षेत्र को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन्हें पंचायत वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से लोग अपना-अपना पंच चुनते हैं। जो भी पंच बनना चाहता है, वह ग्राम-पंचायत के चुनाव में अपने वार्ड से खड़ा हो सकता है। वार्ड के लोग अपना मत देते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलें वही पंच बनता है।"

लखिया: "अगर एक बार कोई पंच चुन लिया गया तो फिर क्या हमेशा वही पंच बना रहेगा?"

पटवारी: "नहीं, हर पांच साल बाद पंचायत के चुनाव होते हैं, और नए पंच चुने जाते हैं।"

पटवारी ने अपने घड़ी देखते हुए कहा, "अरे, बहुत देर हो गई है। मुझे आज पगांवा की सूची भी पूरी करनी है।" यह कहते हुए पटवारी चला गया।

इन वाक्यों में से गलत वाक्यों को सुधारकर लिखो:

हर गांव पर एक पंचायत होती है।

हर साल नई ग्राम पंचायत चुनी जाती है।

हर वार्ड से एक पंच होता है।

यदि किसी क्षेत्र में 250 गांव हैं तो वहां 250 ग्राम पंचायतें ही होगीं।

मतदाता सूची क्या होती है?

पटवारी ने फत्तो का नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं लिखा?

लखिया वोट क्यों नहीं डाल सकती?

सरपंच व उपसरपंच

हर ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है। सरपंच को चुनने के लिए वे सभी लोग अपना मत (वोट) दे सकते हैं, जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है। सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और पंचायत के कामों की देखरेख करता है।

हर ग्राम पंचायत का एक **उपसरपंच** भी होता है। उपसरपंच पंचों में से ही, पंचों द्वारा चुना जाता है। सरपंच के **उपस्थित** न रहने पर उपसरपंच उसका काम सम्भालता है।

पंचायतों में आरक्षण

सरपंच के कुछ पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए रखे गए हैं, यानी उनके लिए आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग के लिए भी सरपंच व पंच के कुछ पद आरक्षित होते हैं। इसी प्रकर महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। कुल ग्राम पंचायतों के एक तिहाई सरपंच पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में एक तिहाई महिला पंचों का होना ज़रूरी है।

इस तरह चार प्रकार के लोगों को किसी न किसी रूप में आरक्षण दिया जाता है। वे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिलाएं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों और महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है - गुरुजी के साथ चर्चा करो।

सचिव

ग्राम पंचायत का एक **सचिव** होता है। वह चुना

नहीं जाता है बल्कि सरकार द्वारा **नियुक्त** किया जाता है। सचिव पंचायत का हिसाब किताब रखता है और पंचायत की बैठक का **विवरण** लिखता है।

गुरुजी की मदद से पता करो-

तुम्हारे गांव की जनसंख्या कितनी है?

तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं?

तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं?

तुम्हारा घर किस वार्ड में आता है और इसका पंच कौन है?

कनियाखेड़ी की पंचायत

कनियाखेड़ी में कई मोहल्ले हैं - घासीटोला, चिनखीटोला, नोंद मोहल्ला, गांधीवार्ड आदि। इसके अलावा, कनियाखेड़ी पंचायत में तीन और गांव भी हैं। इन सब क्षेत्रों से अलग-अलग पंच चुने जाते हैं। लखिया की भाभी तिजिया घासीटोला की पंच चुनी गई है। पंचों ने उसे उपसरपंच चुना है।

10 दिसंबर को साढ़े दस बजे ग्राम पंचायत की बैठक है। बैठक की सूचना कोटवार द्वारा तिजिया बाई को मिल चुकी है।

ग्राम-पंचायत की बैठक

जब तिजिया पंचायत भवन पहुंची, तब साढ़े दस बज चुके थे। सरपंच खैरातीसिंह और सचिव हरिमोहन यादव के अलावा सात और पंच आ चुके थे। "आओ-आओ तिजिया बाई। अच्छा हुआ तुम आ गईं। अब हम बैठक शुरू कर सकते हैं" सरपंच खैरातीसिंह ने कहा। कनियाखेड़ी की पंचायत में 17 सदस्य थे। 16 पंच और एक सरपंच। आधे सदस्यों से अधिक के उपस्थित होने पर ही बैठक शुरू हो सकती थी। आधे से कम सदस्य आएं तो बैठक निरस्त करनी पड़ती है।

ग्राम-पंचायत के कामों की चर्चा

बैठक शुरू हुई। सबने उपस्थिति बही पर हस्ताक्षर किए।

सबसे पहले सचिव हरिमोहन ने पिछली बैठक का विवरण पढ़ कर सुनाया। सभी पंच विवरण से सहमत थे। सरपंच खैराती सिंह ने विवरण पर हस्ताक्षर किए।

फिर पहले पिछले महीने किए गए कामों के बारे में बात होने लगी। सरपंच खैराती सिंह ने सचिव हरिमोहन से पूछा, "क्या-क्या काम हुए हैं पिछले महीने?"

"चिनखीटोला के रपटे का काम शुरू हो गया है। नोंद मोहल्ले के कुंए की सफाई हुई है। फिर पंचायत भवन के कुछ कवेलू बदलवाए हैं। कुल मिलाकर पिछले महीने करीब तीन हज़ार रुपये खर्च हुए हैं" हरिमोहन ने बताया।

रहमत अली चिनखीटोला का पंच था। उससे रपटे के काम के बारे में बात हुई। कितना काम हुआ है? कितना बाकी है?

खैरातीसिंह ने पूछा, "अच्छा, इस महीने और क्या-क्या करना है? आज पहले तिजिया बाई से पूछें - उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं।"

"हमारे वार्ड की समस्या कौन नहीं जानता! घासीटोले का कुआं दो साल से सूखा पड़ा है। हम औरतों को गांव के दूसरे छोर पर चिनखीटोला से रोज़ पानी लाना पड़ता है। हमारे मोहल्ले का कुआं गहरा करवा दिया जाए या हैंडपम्प लगवा दिया जाए तो हमारी यह परेशानी दूर हो जाएगी" तिजिया बोली।

इतने में पगांवां का एक पंच बोल पड़ा, "सब काम कनियाखेड़ी में ही हो जाते हैं। हमारा छोटा सा गांव भी तो इसी पंचायत में आता है। हमारे यहां नाली और कुएं की सफाई सालों से नहीं हुई है। तालाब में पानी नहीं भरता। पहले हमारे गांव के कुएं की सफाई कराइए। तालाब को गहरा करवाइए। इसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।"

अतिक्रमण और जुर्माना

दो तीन और मामलों पर चर्चा हुई। नोंद मोहल्ले के एक आदमी ने सड़क के एक हिस्से पर ही अपना कमरा बना लिया था। पंचों ने तय किया कि यदि वह खुद अपना कमरा नहीं हटाता, तो पंचायत कमरा तुड़वा देगी।

फिर गांधी वार्ड के रामप्रसाद के मामले पर बात हुई। गांधी वार्ड के पंच लच्छू ने बताया कि रामप्रसाद अपने घर का गंदा पानी हमेशा सड़क पर बहा देता है। अपने घर का कचरा भी वह सड़क पर फेंकता है। पंचायत ने तय किया कि गंदगी फैलाने के लिए रामप्रसाद से जुर्माना लिया जाएगा।

ग्राम-पंचायत की आमदनी पर चर्चा

अबसचिव हरिमोहन ने पंचों के सामने पिछले महीने तक का हिसाब-किताब रखा। "इस बार संडास, बिजली और बाज़ार के टैक्स से बहुत कम पैसे प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने अभी तक मकान का टैक्स नहीं दिया है।" हरिमोहन ने कहा। "पिछले महीने ही चिनखीटोला के रपटे के लिए **जनपद पंचायत** से कुछ पैसे आए हैं। इस तरह अप्रैल से नवंबर तक कुल करीब दस हज़ार रुपये जमा हुए।"

ग्राम-पंचायत सार्वजनिक कामों के लिए कई जगहों से पैसे इकट्ठा करती है। वह गांव के लोगों से सफाई, बिजली, संडास व निजी मकानों पर **टैक्स** लेती है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को ये टैक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा ग्राम-पंचायत को जुर्माने से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं।

ग्राम-पंचायत क्षेत्र में यदि कोई बड़ा काम होना है, (जैसे, कुआं, रपटा, नाली या शाला भवन

गांव में कुओं की मरम्मत और पानी का प्रबंध पंचायत का काम है

अपनी पंचायत के पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ये समस्या तो बड़ी टेढ़ी है।" सरपंच बोला।

इतने में एक पंच बोल पड़ा, "इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अनुसूचित जाति के ग़रीब लोगों के लिए सरकार की योजनाएं हैं। जनपद पंचायत

बनवाना) तो इसके लिए टैक्स और जुर्माने की आमदनी काफी नहीं होती। इन कामों के लिए ग्राम-पंचायत कुछ पैसे जनपद पंचायत से मांग सकती है, और लोगों से चंदा भी कर सकती है। सरकार जनपद पंचायतों को ऐसे कामों के लिए पैसे देती है।

ग्राम-पंचायत के कामों के लिए पैसे

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत की बैठक में कई कामों के बारे में बात हो चुकी थी। अब तय यह करना था कि इन कामों के लिए पैसे कहां से जुटेंगे।

"घासीटोला का कुआं गहरा करवाने या हैंडपम्प लगवाने में तो बहुत खर्चा आ जाएगा। को इन कामों के लिए पैसे मिल सकते हैं। हम जनपद को अर्ज़ी दे देते हैं। हमें अपने क्षेत्र के जनपद सदस्य से बात करनी चाहिए - वे जनपद पंचायत की अगली बैठक में इसके बारे में हमारी मांग रख सकते हैं।"

तिजिया ने कहा, "जनपद को कब अर्ज़ी देंगे और कब पैसे आएंगे। इसमें एक और साल बीत जाएगा। आप तो किसी तरह इन्हीं पैसों से काम चला लीजिए। कुछ पैसों का हम चंदा कर लेंगे।"

काफी देर तक इस बात पर बहस होती रही कि अभी ग्राम-पंचायत के पास जमा पैसों का क्या किया जाए।

अंत में तय हुआ कि घासीटोला के हैंडपंप के लिए जनपद पंचायत से पैसे मांगे जाएं।

सचिव हरिमोहन एक हैंडपंप के खर्चे का हिसाब बनाकर जनपद के लिए अर्ज़ी बनाएगा। ग्राम पंचायत में जमा पैसों से पगांवां की सड़क ठीक करवाने का तय हुआ।

बैठक की रपट

सब बातचीत खत्म होते-होते चार बज गए थे। पंचायत के सचिव हरिमोहन ने बैठक में हुई पूरी चर्चा के बिन्दु लिखे थे। ग्राम पंचायत की हर बैठक का विवरण लिखा जाता है। यह विवरण सचिव लिखता है।

ग्राम पंचायत बैठक के नियम

पंच आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, "पिछली पंचायत में तो कभी-कभार ही बैठक होती थी। ये खैरातीसिंह हमेशा समय पर बैठक बुलाता है। अभी तक एक भी महीना नहीं चूका।"

एक और पंच ने कहा, "चूके कैसे? नए नियम और भी कड़े हो गए हैं। अब तो हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना ज़रूरी है। खैरातीसिंह यह जानता है कि अगर उसने लगातार तीन महीनों तक बैठक नहीं बुलवाई तो उसे हटाया भी जा सकता है।"

चिनखीटोला का पंच रहमत अली बोला, "बिरजन खेड़ी का सरपंच कभी बैठक नहीं बुलाता। बस सचिव को बाखर में बुलवाकर कागज़ बना लेता है और सबके घर बही भेजकर हस्ताक्षर करवा लेता है। कोई कुछ नहीं कहता। सब सरपंच से घबराते हैं।"

गांधीवार्ड का पंच वोला, " भई नियम कानून बनाना काफी नहीं है। अगर गांव के लोग और दूसरे पंच इन कानूनों को तोड़ने पर सरपंच से सवाल करें तभी सरपंच कानून तोड़ने से घबराएगा।" ये बातें करते करते सब पंच अपने अपने घर चले गए।

अभी तक तुमने जो पढ़ा, उसके आधार पर बताओ-

तिजिया कौन थी ?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत में कितने सदस्य हैं?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत में कौन-कौन से गांव आते हैं?

सही विकल्प चुनो -

तिजिया के पहुंचने तक ग्राम पंचायत बैठक शुरू नहीं हुई थी क्योंकि . . . .

1. वह महिला पंच थी और महिला पंच के बिना बैठक शुरू नहीं हो सकती।

2. उसके आने पर ही पंचायत के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3. वह उपसरपंच थी और उपसरपंच के बना बैठक शुरू नहीं हो सकती।

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत को पैसे कहां-कहां से मिले?

घासीटोला और नोंद मोहल्ले की क्या-क्या समस्याएं थीं? उनके बारे में कननियाखेड़ी की ग्राम

पंचायत ने क्या तय किया?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत कितने दिनों में मिलती है?

जनपद पंचायत क्या है पता करो।

तुम्हारी ग्राम पंचायत कौन सी जनपद पंचायत में आती है ?

पिछले साल तुम्हारी ग्राम पंचायत ने क्या-क्या काम किए?

ग्राम-पंचायत के काम में मुश्किल

पैसे जुटाने में देरी

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत की उस बैठक के बाद कई महीने बीत गए। हर महीने तिजिया बैठक में जाती। घासीटोला के हैंडपंप के पैसों के बारे में पूछताछ करती। उसे बताया गया कि मार्च में जब सरकार को अगले साल के कामों की योजना भेजेंगे तो उसी में हैंडपंप के लिए भी पैसे मांगेंगे। साल भर के पैसों के साथ ही सरकार से हैंडपंप का पैसा मिलेगा।

सितम्बर के महीने में कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत को जनपद पंचायत से सरकारी पैसे मिले। इनमें घासीटोला के हैंडपंप के पैसे भी थे। तिजिया ने अक्टूबर की बैठक में सरपंच से पैसे मांगे ताकि हैंडपंप का काम शुरू हो जाए। एक वार्ड के पंच रामदीन ने कहा, "तिजिया बाई तुम्हें ये सब काम करवाने में मुश्किल होगी। शहर से ठेकेदार लाना होगा। मैं शहर जाता रहता हूं, मैं ये काम करवा दूंगा।" तिजिया रामदीन की बात मान गई।

दो-तीन महीने हो गए पर हैंडपंप का काम शुरू नहीं हुआ। जब भी तिजिया रामदीन से इस के बारे में पूछती, वह कुछ बहाना बना देता।

पैसे का गलत इस्तेमाल

एक दिन तिजिया पानी भरने जा रही थी तब उसने रामदीन के घर के सामने लम्बे-लम्बे पाइप पड़े देखे। उसने रामदीन के पास जाकर पूछा, "क्यों भैया जी ये पाईप काहे के लिए आए हैं?" रामदीन ने अकड़कर जवाब दिया, "तुम्हें इससे क्या? कोई अपना हैंडपंप खुदवा रहा होगा।"

तिजिया को कुछ गड़बड़ लगी। चिनखीटोला के कुएं पर घासीटोला की कई औरतें मिल गईं। तिजिया ने उन्हें बताया कि वह अभी-अभी रामदीन के घर के सामने लम्बे-लम्बे पाईप देखकर आई है। "जब मैंने रामदीन से पूछा तो उसने अटपटा जवाब दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है" तिजिया ने कहा। एक औरत बोली, "चलो अपन सब खैरातीसिंह के यहां चलकर उनसे बात करते हैं।" सब औरतें तिजिया के साथ खैरातीसिंह के यहां गईं और उसे पूरा किस्सा सुनाया।

सरपंच खैरातीसिंह ने उनके सामने ही रामदीन को बुलवाकर उसे चेतावनी दी, "अगर दो दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो पैसे लौटा देना। तिजिया ही हैंडपंप डलवा लेगी।"

दो दिन बाद घासीटोला में हैंडपंप का काम

शुरू हुआ। खुदाई करवाकर पाईप ज़मीन में उतारे गए। पर दो हफ्ते बाद फिर काम बंद हो गया।

घासीटोला में हैंडपंप लगने में देरी क्यों हुई? दो कारण समझाओ।

तिजिया, रामदीन, और खैरातीसिंह द्वारा कहे गए एक-एक वाक्य लिखो।

ग्राम सभा

घासीटोला के हैंडपंप का काम रुकने के बाद दो-तीन महीने और गुज़र गए। मार्च में **ग्राम सभा** की वार्षिक बैठक हुई। तिजिया ने सोचा कि अब ग्राम सभा में ही पंप के बारे में पूछना पड़ेगा। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी गांवों (कनियाखेड़ी, पगांवा, नूनपुर, मानीगांव) के मतदाता आए। हर गांव और वार्ड के लोगों ने पंचायत से अपनी समस्याओं के बारे में पूछा।

घासीटोला के लोगों ने अपना हैंडपंप पूरा न होने पर बहुत शोर किया। तिजिया बाई ने कहा कि इतनी मुश्किल से तो पंप के पैसे आए थे, पर उस पंप का पानी आज तक किसी को नसीब नसीब नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि यदि पंद्रह दिन में पंप पूरा नहीं हुआ तो घासीटोला के लोग ज़िलाधीश के पास शिकायत करने जाएंगे। खैरातीसिंह ने आश्वासन दिया कि वह हैंडपंप का काम जल्दी पूरा कराएगा।

ग्राम सभा की बैठक के एक महीने बाद घासीटोला का हैंडपंप तैयार हो गया।

हर ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत का लेखा-जोखा और आने वाले साल की **अनुमानित** आमदनी और खर्च का **ब्यौरा** पेश होना चाहिए। ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों से सवाल पूछ सकते हैं।

कनियाखेड़ी ग्राम सभा के सदस्य कौन थे?

ग्राम सभा की बैठक कब-कब होनी चाहिए?

ग्राम सभा में घासीटोला के लोगों ने क्या किया?

अभ्यास के प्रश्न

1. 'सार्वजनिक सुविधा' का क्या मतलब है? नीचे दी गई बातों में से कौन सी बातों को तुम 'सार्वजनिक सुविधाओं' में शामिल करोगे? शाला, साईकिल, पुस्तक, अस्पताल, पानी की व्यवस्था, कपड़े, बाज़ार।
2. ग्राम पंचायत किस तरह से बनती है? इसके बारे में चार मुख्य बातें लिखो। ये बातें तुम्हें किस उप-शीर्षक के नीचे मिलेंगी?
3. ग्राम पंचायत क्या करती है और कौन-कौन से कर वसूल करती है, इनके बारे में पांच-पांच वाक्य ढूंढ़कर लिखो।
4. यदि तुम्हारे मोहल्ले में नालियां नहीं हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहता है, तो तुम क्या करोगे? अपने शब्दों में लिखो।
5. इस पाठ में कई जगह जनपद पंचायत का ज़िक्र हुआ है। पता करो जनपद पंचायत क्या है? यह कैसे बनती है? उसके सदस्य कौन हैं?
6. ग्राम पंचायत के सामने क्या-क्या समस्याएं आती हैं? उन्हें सुलझाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है?
7. ग़लत वाक्यों को सुधार कर लिखो :
   (क) ग्राम पंचायत का सचिव गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है।
   (ख) किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच का महिला होना ज़रूरी है।
   (ग) पंचों के चुनाव में पंचायत क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है।
   (घ) पटवारी नहीं चाहता था कि लखिया वोट डाले; इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिखा।
   (ङ) एक ग्राम पंचायत में कम से कम तीन गांव होते हैं।

4. नगरों में सुविधाओं का प्रबंध

गांवों में पानी, सड़क आदि की व्यवस्था कैसे होती है यह तुमने पिछले पाठ में पढ़ा। गांव और शहर में क्या-क्या अंतर हैं? शहरों में किन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है? इन सुविधाओं का प्रबन्ध कैसे होता है - आपस में चर्चा करो।

रहमत अली और इमरान अमरबोर आए

इमरान, अपने पिता रहमत अली के साथ बस में अमरबोर जा रहा था। अमरबोर कनियाखेड़ी के पास एक कस्बा (छोटा शहर) है, जिसकी आबादी करीब तीस-चालीस हज़ार है। इस कस्बे में इमरान के चाचा हबीब रहते हैं। हबीब चाचा की बेटी की शादी है। शादी में शरीक होने के लिए ही इमरान और रहमत अली अमरबोर जा रहे हैं।

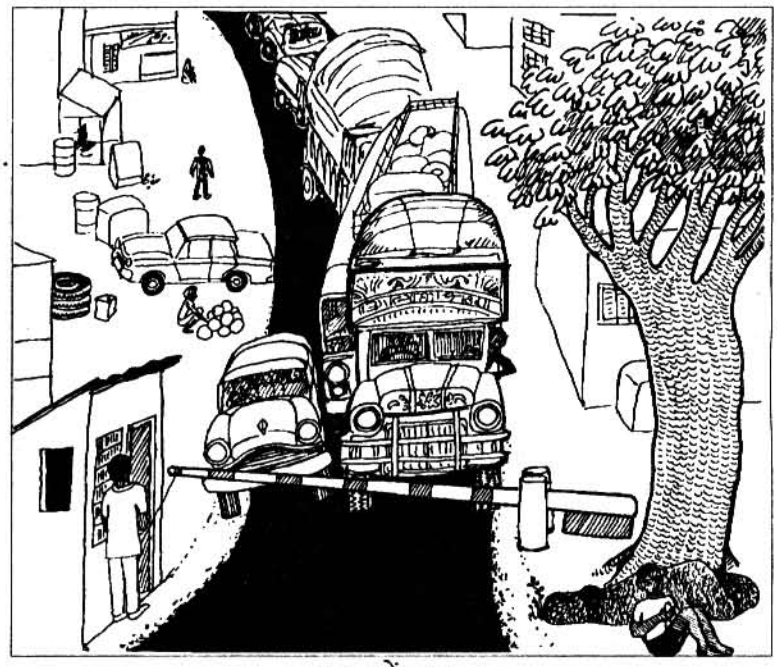

शहर में नाका

अमरबोर शहर दूर से दिखने लगा था। अचानक शहर आने से पहले ही बस रुक गई। उसे रोकने के लिए किसी ने एक लम्बा बांस सा गिराया था। कंडक्टर दौड़कर गया और पास बनी एक झोपड़ी में कुछ पैसे चुका कर आया। सड़क के एक किनारे पर खड़े एक आदमी ने बांस ऊपर किया और बस फिर शहर के अंदर चल दी। इमरान पहली बार शहर आया था। उसे ये सब नया-नया और कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अपने पिता से पूछा "अब्बा, उस आदमी ने अपनी बस क्यों रोकी? और कंडक्टर ने वहां पैसे क्यों चुकाए?"

"ये अमरबोर की नगरपालिका का **नाका** था। सवारी लेकर जो भी वाहन गुज़रता है जैसे बस या टेम्पो, उसे नगरपालिका को 'यात्री कर' या यात्री टैक्स चुकाना पड़ता है।" रहमत अली ने जवाब दिया।

"ये नगरपालिका क्या है?" इमरान ने फिर पूछा। रहमत अली ने समझाया, "नगरपालिका ग्राम पंचायत जैसी होती है। जैसे अपनी ग्राम पंचायत गांव में सफाई, पीने का पानी, सड़क, पुल, रपटे आदि की देख-रेख करती है, वैसे ही नगरपालिका शहर में पीने के पानी, सफाई, सड़क आदि की देख-रेख का काम करती है।"

इतने में अमरबोर का बस अड्डा आ गया। इमरान और रहमत अली ने बस से उतर कर रिक्शा लिया और घर की ओर चल दिये।

नगर पांलिका

तुमने पिछले पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। ग्राम पंचायत में हर **वार्ड** के लोग अपना-अपना वार्ड सदस्य चुनते हैं। ये सदस्य ग्राम पंचायत का काम करते हैं। उसी तरह नगरपालिका में भी वार्ड होते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है।

यह समझ लो कि नगरपालिका एक तरह से शहर की पंचायत ही है। चूंकि शहर या कस्बे में गांव से बहुत अधिक लोग रहते हैं तो नगरपालिका के सदस्य भी अधिक होते हैं।

दस हज़ार (10,000) लोगों से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगरपालिका बनती है। एक नगरपालिका में 15 से 60 सदस्य होते हैं।

एक लाख (1,00,000) से अधिक लोगों के शहर में नगरनिगम बनता है। नगरनिगम में 50 से 150 सदस्य होते हैं।

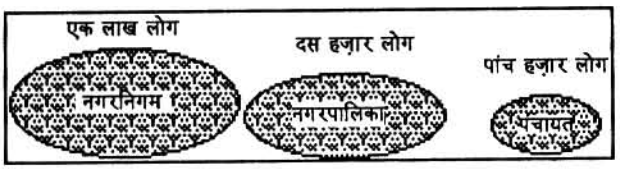

अमरबोर की नगरपालिका

सड़कें

रिक्शे से घर जाते समय, इमरान बड़ी उत्सुकता से आसपास देख रहा था।

शहर में डामर की पक्की सड़कें थीं, गांव की धूल भरी सड़कों से काफी अलग। लेकिन सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे भी थे। "धीरे चलना भैया" रहमत अली ने रिक्शे वाले से कहा, "तुम्हारे शहर की सड़कें बहुत खराब हैं। नगरपालिका इन्हें सुधारती क्यों नहीं?" रहमत अली ने बातों-बातों में पूछा।

"क्या करें भैया? पहले जो नगरपालिका के **मेम्बर** थे, उन्होंने कई काम किए - एक बगीचा बनवाया, कई पक्की दुकानें भी बनवाईं। पर न तो ये सड़कें ठीक करवाईं, न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। लोगों ने कहा, 'जब पानी की इतनी दिक्कत है और सड़कों पर इतने गड्ढे हैं तो दुकानों और बगीचों का क्या मतलब?'

जब दुबारा नगरपालिका के चुनाव हुए, तो पुराने मेम्बरों के साथ-साथ कई नए लोग मेम्बर बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए। हर उम्मीदवार कहता, 'हम पानी की पूरी व्यवस्था ठीक कर देंगे।' लोगों ने नए उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीद से वोट दिए। न सड़कें ठीक हुईं, न पानी की व्यवस्था।" रिक्शे वाला बताता रहा।

इतने में हबीब का घर आ गया। रहमत अली ने रिक्शे वाले को पैसे दिए। इमरान 'मुन्नू-मुन्नू' करता हुआ घर के अंदर घुस गया। मुन्नू हबीब चाचा का लड़का था। उसी से इमरान की पटती

थी। दोनों बाहर खेलने निकल गए।

पानी

थोड़ी देर बाद मुन्नू की अम्मा ने आवाज़ दी, "मुन्नू ओ मुन्नू। बेटा, नल आने वाला होगा। बाल्टी और गंज नल के पास तो रख आ। आज तुम और इमरान पानी भर लेना।"

इमरान आश्चर्य से सोचने लगा कि इन नलों में पानी कहां से और कैसे आता है? उसके गांव में तो नल नहीं हैं। सभी लोग कुएं से ही पानी भरते हैं।

वह मुन्नू के साथ पानी भरने गया। कई लोग बाल्टी, गंज लेकर नल के सामने **कतार** में खड़े थे। मुन्नू और इमरान भी खड़े हो गए। करीब छह बजे नल चालू हो गया। एक-एक करके सबने अपने-अपने बर्तन भरे। कुछ औरतें वहीं अपने बर्तन मांज रहीं थीं। मुन्नू और इमरान की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बाल्टियां और गंज भरा। घर ले जाकर बड़े टांके में डाल दी। फिर नल पर जाकर और पानी भरा। करीब एक घंटे इसी तरह दोनों पानी भरते रहे। फिर पानी धीमा हुआ और सात बजे बंद हो गया।

"बस इतनी देर पानी आता है यहां?" इमरान ने मुन्नू से पूछा।

"हां बस एक घंटा शाम और एक घंटा सुबह पानी आता है। उसी में सब काम करना पड़ता है। शाम को टंकी भरते हैं। सुबह नहाने-धोने, बर्तन-कपड़े में ही पानी बंद हो जाता है।" मुन्नू ने बताया।

"हमारे गांव में तो मोहल्ले में ही कुंआ है। जब चाहो पानी भर लो।" इमरान ने मुन्नू से कहा।

पानी भरना

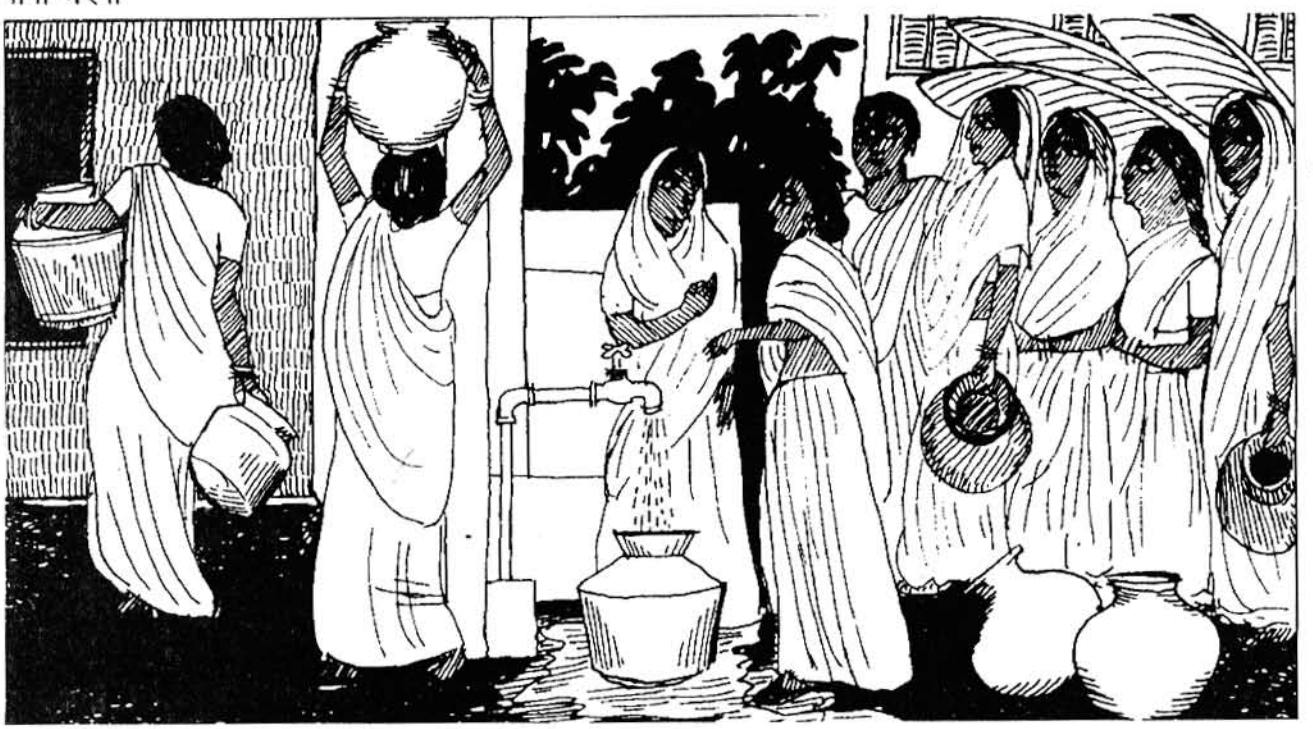

शाम को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो इमरान ने अपने चाचा से पूछा, "ये तो बताइए, छोटे अब्बा, इन नलों में पानी आता कहां से है? और कैसे आता है?"

इमरान के चाचा उसे बताने लगे, "शहर में दो नलकूप, यानी बड़े गहरे पाईप वाले कुएं हैं। इन नलकूपों में मोटरें लगी हैं। जिनसे पानी नलकूप के ऊपर बनी बड़ी-बड़ी टंकियां में भर जाता है। इन टंकियों से हर मोहल्ले के लिए ज़मीन के नीचे पाईप बिछे हैं। जब टंकी भर जाती है तो इन पाईपों में पानी भेजने के **वाल्व** खोल दिए जाते हैं। वाल्व खोलने पर टंकी से पानी नीचे आकर इन पाईपों में बहने लगता है। इन पाइपों में ही जगह-जगह नल लगे हैं। इस तरह पानी हर मोहल्ले के नलों में पहुंचता है।"

"पर ये सब काम करता कौन है?" इमरान ने फिर पूछा।

"हमारे यहां एक नगरपालिका है। नगरपालिका के कुछ **कर्मचारी** ये काम करते हैं" चाचा ने कहा।

सड़क की बत्ती

ये सब बातें करते-करते अंधेरा होने लगा था। बाहर सड़क के किनारे लगे खम्भों पर बिजली के बल्ब चमचमाने लगे थे। हबीब चाचा ने बताया कि इन बिजली के खम्भों की देखरेख करना, शाम को बिजली जलाना और सुबह बंद करना, ये सब काम भी नगरपालिका का ही है।

हमने पिछले पाठ में देखा था कि गांवों में सड़क, पीने का पानी, साफ सफाई आदि सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। शहरों और कस्बों में भी पानी, बिजली, सड़क साफ सफाई जैसी सार्वजनिक सुविधाओ की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के लिए शहरों में नगरपालिका या नगर निगम बनाई जाती है।

तुमने अमरबोर के बारे में जितना पढ़ा, इमरान के पिताजी और चाचा ने जितना बताया, उसमें नगरपालिका के क्या-क्या काम समझ में आए?

नीचे दिए गए खाली स्थान भरो -

10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में ——— बनती है।

1,00,000 से अधिक लोगों के शहर में ——— बनती है।

नगरपालिका और नगरनिगम के सदस्य हर ——— से चुने जाते हैं।

नगरपालिका में ——————— सदस्य होते हैं और नगरनिगम में ——————— सदस्य होते हैं।

नगरपालिका और नगरनिगम के नियम

नगरपालिका और नगरनिगम कैसे बनते हैं?

नगरपालिका व नगरनिगम के सदस्य कैसे बनते हैं? वे क्या-क्या काम करते हैं? इसके नियम कानून हैं। ये नियम कानून **राज्य की सरकार** बनाती है।

1. नगरपालिका या नगरनिगम 5 सालों के लिए बनाई जाती हैं।

2. शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, नगरपालिका या नगरनिगम का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है।

3. हर नगरपालिका या नगरनिगम में कम से कम एक तिहाई महिला मेम्बर और कुछ अनुसूचित जाति के मेम्बर होते हैं।

4. नगरपालिका का एक **अध्यक्ष** होता है। वह नगरपालिका का सदस्य होता है। अध्यक्ष नगरपालिका के अन्य सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके कुछ पद भी आरक्षित होते है।

5. नगरनिगम का भी अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर भी नगरनिगम के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

6. नगरपालिका अध्यक्ष और नगरनिगम महापौर ढ़ाई साल के लिए ही चुने जाते हैं।

7. हर नगरपालिका का एक मुख्य **कार्यपालिक अधिकारी** होता है और हर नगरनिगम का एक **आयुक्त**। मुख्य कार्यपालिक अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, - सरकार द्वारा **नियुक्त** किए जाते हैं। वे ही नगरपालिका और नगरनिगम के कामों की देखरेख करते हैं और लेखा-जोखा रखते हैं।

8. शहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं, नगरपालिका व नगरनिगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं।

9. यदि किसी वजह से नगरपालिका या नगरनिगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक नगरपालिका/निगम का काम संभालता है।

सही विकल्प चुनो–

नगरपालिका का अध्यक्ष या नगरनिगम का महापौर ——— पांच साल/1 एक साल/ ढ़ाई साल के लिए चुना जाता है।

शहर में रहने वाले ———18 वर्ष/25 वर्ष/ 21 वर्ष से ऊपर उम्र के लोग नगरपालिका या नगरनिगम के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।

नगरपालिका और नगरनिगम ——— शहर की सड़कें बनवाने/एक जगह से दूसरी जगह बस की व्यवस्था करने/राज्य की सड़कें बनवाने का काम करती हैं।

नगरपालिका और नगर निगम को——— -चीज़ें बेचकर/लोगों की आमदनी पर कर लेकर/ पानी और संडास पर टैक्स लेकर। पैसे मिलते हैं।

गुरुजी की मदद से पता करो और इन प्रश्नों के उत्तर दो।

तुम्हारे ज़िले में कहां-कहां नगरपालिकाएं हैं? कहां पर नगरनिगम हैं?

मध्यप्रदेश में कहां-कहां नगरनिगम हैं?

यदि तुम शहर या कस्बे में रहते हो तो पता करो–

क्या तुम्हारे यहां नगरपालिका या नगरनिगम है?

उसका अध्यक्ष या महापौर कौन है?

पानी के नल पर कितने पैसे वसूल किए जाते हैं?

नगरपालिका के कर्मचारी नाली साफ करने और कचरा उठाने कब-कब आते हैं?

अमरबोर में पानी की समस्या

अमरबोर में पानी की बड़ी समस्या थी। नियमित रूप से नल नहीं आते थे। कभी-कभी तीन-तीन दिन तक पानी नहीं आता। इस समस्या से अमरबोर के लोग बहुत परेशान थे।

कर्मचारी पानी टैक्स की पर्ची देने आया।

एक दिन नगरपालिका से एक कर्मचारी सुभाष वार्ड में आया। वह मोहल्ले के लोगों को पानी और संडास का टैक्स और सड़क की बिजली के टैक्स की पर्ची देने आया था।

दो दिनों से पानी नहीं आ रहा था। कुछ लोग नगरपालिका के उस कर्मचारी पर बिगड़ पड़े, "टैक्स की पर्ची देने तो चले आते हो पर पानी तो हर कभी बंद कर देते हो। आज तीसरे दिन भी नल नहीं आया। क्यों दें हम टैक्स?"

नगरपालिका का कर्मचारी कुछ सिटपिटाया, फिर बोला, "टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके नल कट जाएंगे। रही बात पानी

नहीं आने की, ये बात आप अपने वार्ड के मेम्बर मदनलालजी से कहिए। वे नगरपालिका के पानी समिति के सदस्य भी हैं। वे यह समस्या हल कर सकते हैं।" "अरे मदनलालजी को क्या फिक्र है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता, कब पानी आया कब नहीं। उनके यहां निजी कुआं जो है।"

मुन्नीबाई नाम की एक महिला यह सब सुनकर कहने लगी, "इस बेचारे आदमी पर बिगड़कर कुछ न होगा। यह तो नगरपालिका का कर्मचारी ही है। अगर यह समस्या सुलझानी है तो आपने वार्ड के मेंबर मदनलालजी से मिलना होगा। आखिर उसे मेंबर इसीलिए तो चुना है।"

सुभाष वार्ड के लोग मेम्बर के पास गए

सब लोग तो नहीं तैयार हुए, पर करीब 15-20 लोग मुन्नीबाई के साथ खाली बाल्टियां लेकर मदनलाल के यहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मदनलाल बाहर आया। इतने सारे लोगों को खाली बाल्टियां लेकर खड़ा देख वह थोड़ा ठिठका। पूछा, "क्या बात है?" मुन्नीबाई ने कहा, "हमारे मोहल्ले में हर कुछ दिनों में नल ही नहीं आता। आज तीन दिनों से पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आप मेम्बर हैं, आपको कुछ करना होगा। आप अगर पानी नहीं दिलवाएंगे तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग आपके घर से पानी भरेंगे।"

मदनलाल लोगों का रवैया देखकर थोड़ा घबराया। बोला, "अच्छा रुको। आज के लिए टैंकर में पानी भिजवाने की कोशिश करता हूं। असल में ये पानी की समस्या ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि पम्प पुराने हो गए हैं। बार-बार खराब होते रहते हैं। उन्हें बदला जाना है। पर बदलने के लिए नगरपालिका के पास पैसे नहीं है। तीन साल से हम लोग सरकार से पैसा मांग रहे हैं, पर मिलता ही नहीं। अभी पम्प सुधरवाने भेजा है। कल तक नल आ जाएगा।"

कई महीने गुज़र गए। कई बार पानी नहीं आया। कभी टैंकर भेजे जाते, कभी टैंकर नहीं भी आते। अमरबोर के सभी लोग ऐसे हालातों से काफी परेशान रहने लगे। औरतें ज़्यादा परेशान होतीं, चूंकि उन्हीं को पानी भरना पड़ता था। जिनके पास पैसे थे, उन्होंने कुएं खुदवा कर मोटर लगवा लीं, या फिर हैंडपम्प लगवा लिए। पर अधिकांश लोगों की समस्या बनी रही।

अमरबोर के लोग अध्यक्ष के पास गए

मुन्नीबाई को पता था कि समस्या तभी हल

होगी जब नए पम्प के लिए पैसे आएंगे और इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना होगा और कई बार नगर पालिका सदस्य और अध्यक्ष के पास जाना होगा। मुन्नीबाई अपने मोहल्ले के कई लोगों से मिली। पहले तो लोगों ने कहा 'हम क्या कर सकते हैं? हमारी कौन सुनता है?' पर जब कई बार पानी नहीं आया, तब कई औरतें मुन्नीबाई के साथ हो लीं।

मुन्नीबाई के मोहल्ले में ही नहीं, आसपास के मोहल्लों से भी कई लोग मिलकर नगरपालिका के अध्यक्ष के पास गए। मुन्नीबाई ने कहा, "हम, रोज़-रोज़ पानी की किल्लत से ऊब गए हैं। हमें पता है कि यहाँ के पम्प बदलवाने की ज़रूरत है। हम सरकार के लिए अर्ज़ी देने आए हैं। इस अर्ज़ी पर 500 लोगों के हस्ताक्षर हैं। आप जब सरकार को अनुदान के लिए लिखें तो हमारी अर्ज़ी भी साथ भेज दें। कम से कम उन्हें पता तो चले कि यहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अगर अनुदान की अर्ज़ी की एक प्रति हमें मिल सकती है तो हम ज़िलाधीश और विधायक से भी मिलने की कोशिश करेंगे।"

नगरपालिका का अध्यक्ष मुन्नीबाई पर खीझ गया, "हमें सिखाने आई हो? हम कई बार सरकार को लिख चुके हैं। हमारी नहीं सुनते तो क्या तुम्हारी सुनेंगे?"

मुन्नीबाई ने अपना धैर्य बनाए रखा। बोली, "पानी की ये दिक्कत पिछले तीन सालों से चली आ रही है और इससे हम बहुत परेशान हैं। हम आपकी मुश्किल भी समझते हैं। इसीलिए तो आए हैं। हम विधायक और ज़िलाधीश को भी अपनी मुश्किल समझाएंगे। उन्हें सुनना ही पड़ेगा। आखिर सरकार भी तो हमारे ही वोटों से बनती है। विधायक भी जानता है कि यदि पानी की समस्या हल नहीं हुई तो अगले चुनाव में लोग उसे वोट नहीं देंगे।"

अध्यक्ष का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उसने अर्ज़ी रख ली। मुन्नीबाई ने और लोगों को इकट्ठा किया और विधायक के पास भी गई। ज़िलाध्यक्ष को भी अर्जी भेजी।

अमरबोर की समस्या हल हुई

तीन महीनों के बाद नए पम्प के लिए नगरपालिका के पास पैसे आए। अमरबोर में रोज़ पानी आने लगा। इस तरह अमरबोर में पानी की समस्या हल हुई। सब लोग मुन्नीबाई को आज भी याद करते हैं।

अब अमरबोर के लोग शहर की कोई भी समस्या सुलझाने के लिए नगरपालिका पहुंच जाते हैं। थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत हो तो चंदा करके इकट्ठा भी कर लेते हैं। मेम्बरों के साथ सरकार को भी अर्ज़ी लिखते हैं।

अमरबोर में क्या समस्या थी?

नगर पालिका को किस बात की दिक्कत थी?

अमरबोर की समस्या सुलझाने के लिए मुन्नीबाई ने क्या-क्या किया?

प्रतिनिधि

पिछले पाठ में हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। नगर और गांव के लोग समय-समय पर अपने मोहल्लों से एक-एक व्यक्ति चुनते हैं। इन चुने

हुए 'प्रतिनिधियों' से बनती हैं नगरपालिका, ग्राम पंचायत या नगरनिगम। **प्रतिनिधि** बनाने का मतलब यह है कि लोग जिन्हें चुनते हैं, उन्हें कई ज़िम्मेदारियां दे रहे हैं जैसे, मोहल्ले की समस्याओं को दूर करना, सड़क, पानी की व्यवस्था करना आदि। इस तरह आमतौर से गांवों और शहरों में **सुविधाओं** का **प्रबन्ध** चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है।

प्रशासक

कुछ जगहों की नगरपालिका या नगरनिगम के विरुद्ध उस शहर के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य की सरकार इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। यदि जांच में शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार उस नगरपालिका या नगर-निगम को **भंग** कर सकती हैं। कभी-कभी दूसरे कारणों से भी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका भंग की जा सकती है।

भंग की गई नगरपालिका या नगरनिगम का काम संभालने के लिए राज्य सरकार एक **प्रशासक** नियुक्त करती है। तब प्रशासक ही नगरपालिका या नगरनिगम के सभी कामों पर **निर्णय** लेता है, उनकी व्यवस्था करता है। पूरा काम नगरपालिका के वही कर्मचारी करते हैं जो पहले कर रहे थे। फर्क यह है कि इन कामों का निर्णय नगरपालिका की समितियां नहीं लेतीं -- प्रशासक लेता है।

कई जगहों पर बहुत सालों तक नगरपालिका या नगरनिगम के चुनाव नहीं होते। पुरानी नगरपालिका या नगरनिगम का समय खत्म हो जाता है, तब भी वहां प्रशासक ही नगरपालिका या नगरनिगम का काम संभालता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. नगरपालिका और नगरनिगम के कम से कम 10 कामों के बारे में लिखो। इनकी जानकारी तुम्हें पाठ के किन उप-शीर्षकों के नीचे मिली?
2. नगरपालिका या नगरनिगम कैसे बनाई जाती है? अपने शब्दों में लिखो।
3. नगरपालिका और ग्राम पंचायत में क्या-क्या अंतर हैं?
4. सही विकल्प चुनो-
   क) अमरबोर में पानी का प्रबन्ध करना ..... (नगरनिगम / पंचायत / व्यापारी / नगरपालिका) का काम है।
   ख) अमरबोर की मुख्य स्मस्या यह थी कि वहां..... (सफाई नहीं होती थी / पानी ठीक से नहीं मिलता था / लोग बहुत थे / महंगाई अधिक थी)।
   ग) इन में से कौन नगरपालिका का सदस्य नहीं बन सकता ..... (शहर की 22 वर्षीय महिला / गांव का बुजुर्ग / शहर का व्यापारी)।
5. नगर पालिका को सुविधाओं के प्रबन्ध के लिए पैसे कहां-कहां से मिलते हैं?
6. तुम शहर में रहते हो। तुम्हारे शहर में कई जगह गंदगी पड़ी रहती है और कई दिनों ठीक नहीं हुई है। तुम कैसी चिट्ठी लिखोगे और किन्हें लिखोगे? लिख कर बताओ।

5. किसान और मज़दूर

इस पाठ में छोटे बड़े और मध्यम किसानों और मज़दूरों के बारे में चर्चा की गई है। तुम इन लोगों के बारे में क्या जानते हो - कक्षा में चर्चा करो।

तुमने भूगोल में मैदान, पहाड़ और पठार के गांवों के बारे में पढ़ा था; और वहां की खेती-किसानी के बारे में जाना था। वह अलग-अलग गांवों की बात थी। इस पाठ में हम एक गांव में जाकर वहां के छोटे-बड़े किसानों और मज़दूरों से आजकल की किसानी के बारे में चर्चा करेंगे।

पिछले कुछ सालों में खेती के तरीकों में कई बदलाव आए हैं। पहले कुएं से पानी निकालने के लिए मोठ होते थे जिससे थोड़ी सी सिंचाई हो पाती थी। अब नहरों से हज़ारों एकड़ की सिंचाई हो जाती है। कुएं में मोटर लगा कर पानी निकाला जाता है। इस तरह बहुत सारी ज़मीन सिंचित हो गई है।

पहले जो बीज बोए जाते थे, उनकी उपज कम होती थी। किसान खेतों में गोबर की खाद डालते थे। अब संकर बीज, रासायनिक खाद और दवा का उपयोग होने लगा है। पहले हल-बखर, बैलों और मज़दूरों की मेहनत से पलेवा, बोनी, दावन, उड़ावनी की जाती थी। अब कई जगहों पर ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों से काम किए जाने लगे हैं। कटाई के लिए हार्वेस्टर भी नज़र आ रहे हैं।

नई खेती की कुछ खास बातें है। इसमें कई चीज़ों का इन्तज़ाम <u>एक साथ</u> करना ज़रूरी होता है।

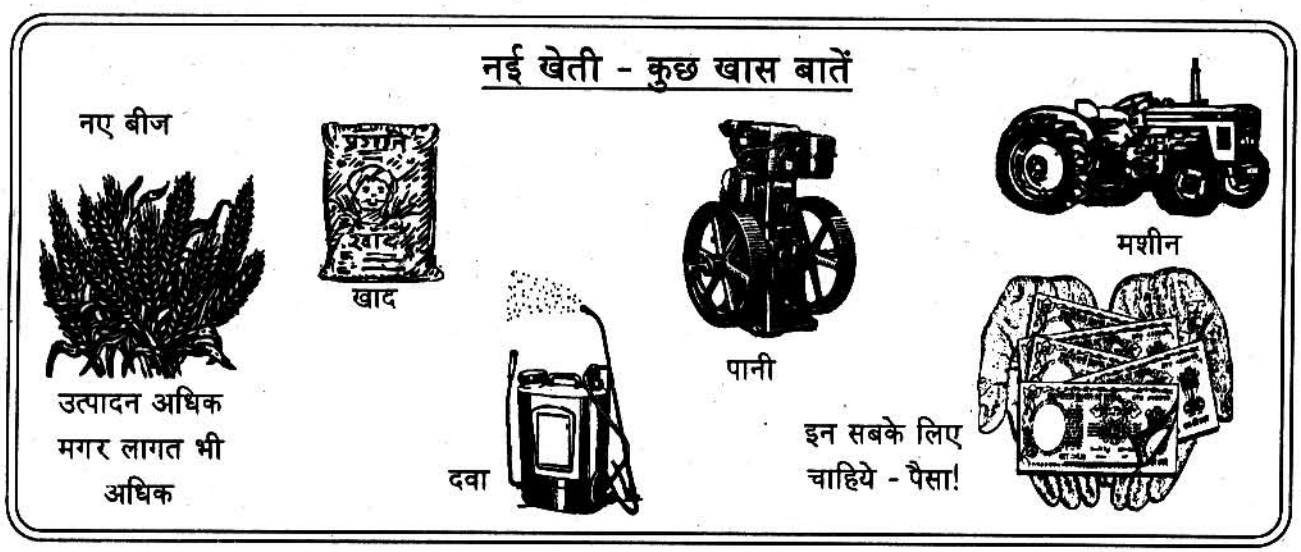

सिंचाई के बगैर नए बीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन बीजों से फसल उगाने के लिए सही मात्रा में **रासायनिक खाद** डालना ज़रूरी है। नए बीजों की फसलों में बीमारियां भी बहुत लगती हैं, इसलिए समय-समय पर **दवा** छिड़कना भी ज़रूरी हो जाता है।

किसानों को ये नए बीज, खाद व दवा खरीद कर ही डालने पड़ते हैं। पहले घर के बीज व गोबर की खाद से ही खेती का काम चल जाता था।

इन नए तरीकों से उपज तो बढ़ती है, लेकिन लंबे समय तक इनका उपयोग करने से मिट्टी बिगड़ सकती है। इस समस्या के बारे में तुम अगली कक्षाओं में पढ़ोगे।

गुरुजी के साथ चर्चा करो कि तुम्हारे आस-पास की खेती में किन-किन बातों में बदलाव आए हैं?

नई खेती में पैसे का खर्च ज़्यादा क्यों होता है?

आओ इस पाठ में देखें, खेती के इन नए तरीकों का अलग-अलग किसानों पर क्या असर पड़ रहा है।

रामू - एक मध्यम किसान

एक दिन हम भेड़ागांव गए। कोटगांव की तरह भेड़ागांव भी एक मैदानी गांव है। लेकिन यहां अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब हम भेड़ागांव पहुंचे तब सोयाबीन की कटाई शुरू हो चुकी थी। हमें देख कर दूर से रामू ने बुलाया।

"आओ पानी पीयो। थक गए होगे।"

रामू से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। फसल काफी घनी लग रही थी। इस बार दाने भी अच्छे आए थे। खेत पर बने टपरे की ओर चलते हुए हमने कहा "इस साल तो तुम्हारी फसल खूब अच्छी लग रही है। इस बार 30-35 बोरे सोयाबीन तो हो जाएगी।"

"हां, इस बार **सोसाइटी** से उधार मिल गया था। इसलिए मैं सही समय पर और ठीक मात्रा में खाद और दवा दोनों डाल पाया हूं। इसलिए फसल भी बढ़िया हुई है।" रामू ने उत्तर दिया।

रामू के पास 5 एकड़ ज़मीन है और एक बैलजोड़ी। जब से भेड़ागांव में नहरों से सिंचाई शुरू हुई है, वह साल में दो फसल ले लेता है। बरसात में सोयाबीन और ठण्ड में गेहूं व चने की फसल लेता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफी बढ़ गई है।

रामू, उसकी पत्नी और तीन बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उन के अलावा दो मज़दूर भी थे। रामू की पत्नी काम छोड़कर हमारी तरफ आई। उसने हमें पानी पिलाते हुए पूछा, "क्यों आज

कैसे आना हुआ?"

हमने कहा, "हम तो वैसे ही मिलने आए थे। आपका काम कैसा चल रहा है?" रामू की पत्नी बोली, "अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है। फिर कहीं से थ्रेशर किराए पर लेकर **दावन** कराना पड़ेगा। इस बार दो ही मज़दूर मिल पाए हैं इसलिए हर काम देर से हो रहा है। और बेचने भी तुरन्त जाना है।"

बोनी, पलेवा, निंदाई-गुडाईके समय तो रामू जैसे मध्यम किसानों को मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परिवार के सभी लोग अपने खेत पर काम करते हैं। परन्तु सोयाबीन और गेहूं की कटाई के समय पांच-छह मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है।

कटाई के समय मज़दूरों की ज़रूरत बढ़ जाती है। इसलिये मज़दूरी भी बढ़ जाती है। रामू जैसे मध्यम किसान उस समय इतने पैसे नहीं दे पाते। इसलिए उन्हें कम मज़दूरों से काम चलाना पड़ता है।

रामू को फसल बेचने की जल्दी है। उसने कहा, "मुझे सोयाबीन बेचना है। सोसाइटी से खाद-बीज के लिए जो कर्ज़ लिया था, उसे लौटाने के लिए फसल तुरन्त बेचनी है। यह कर्ज़ नहीं लौटाया तो अगली फसल के लिए कर्ज़ नहीं मिलेगा।"

रामू जैसे मध्यम किसानों के पास थोड़ी-सी ज़मीन होती है। इसमें उनके परिवार का **गुज़ारा** हो जाता है। उन्हें किसी दूसरे के खेत पर मज़दूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। परन्तु उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपने ही पैसों से खाद-बीज-दवा आदि खरीद कर डाल पाएं। उन्हें हर साल सोसाइटी या **साहूकार** से उधार लेना पड़ता है। तभी वे सही मात्रा में खाद-दवा आदि डाल पाते हैं। और तभी उनकी फसल अच्छी हो पाती है।

बातें करते करते कुछ समय हो गया था। हमें और लोगों से भी मिलना था। रामू को अपनी कटाई खत्म करने की जल्दी थी। तो हम वहां से गांव की ओर निकल पड़े।

रामू ने फसल अच्छी होने का क्या कारण बताया?

इनमें से गलत वाक्यों को चुनकर सुधारो

-रामू का परिवार दूसरों के यहां मज़दूरी नहीं करता है।

- खाद-बीज के लिए रामू ने कर्ज़ लिया था।

- अपनी खेती से रामू का गुज़ारा नहीं होता है इसलिए उसे मज़दूरी भी करनी पड़ती है।

यदि तुम गांव में रहते हो:

तुम्हारे गांव में कम से कम कितने एकड़ ज़मीन वाले किसान परिवारों का अपनी खेती से गुज़ारा हो जाता है और उन्हें दूसरों के यहां मज़दूरी नहीं करनी पड़ती? सिंचित और असिंचित, दोनों के लिए बताओ। छह सात लोगों का एक परिवार मानो।)

गंगू – एक छोटा किसान

रास्ते में हमें गंगू मिल गया। वह अपनी फसल बेच कर शहर से लौट रहा था। हम गंगू के साथ बैलगाड़ी में बैठ कर गांव की ओर चले। रास्ते में गंगू से बातें होने लगीं।

"कहां से चले आ रहे हो?" हमने गंगू से पूछा।

"सोसाइटी के दफ्तर में सोयाबीन बेचने गया था, वहीं से आ रहा हूं।" गंगू ने कहा।

"तुमने तो अपनी फसल काटते ही बेच दी! इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बाज़ार में सोयाबीन बहुत सस्ता बिक रहा है। अभी बेच कर तुम्हें बहुत कम दाम मिला होगा।" हमने गंगू से कहा।

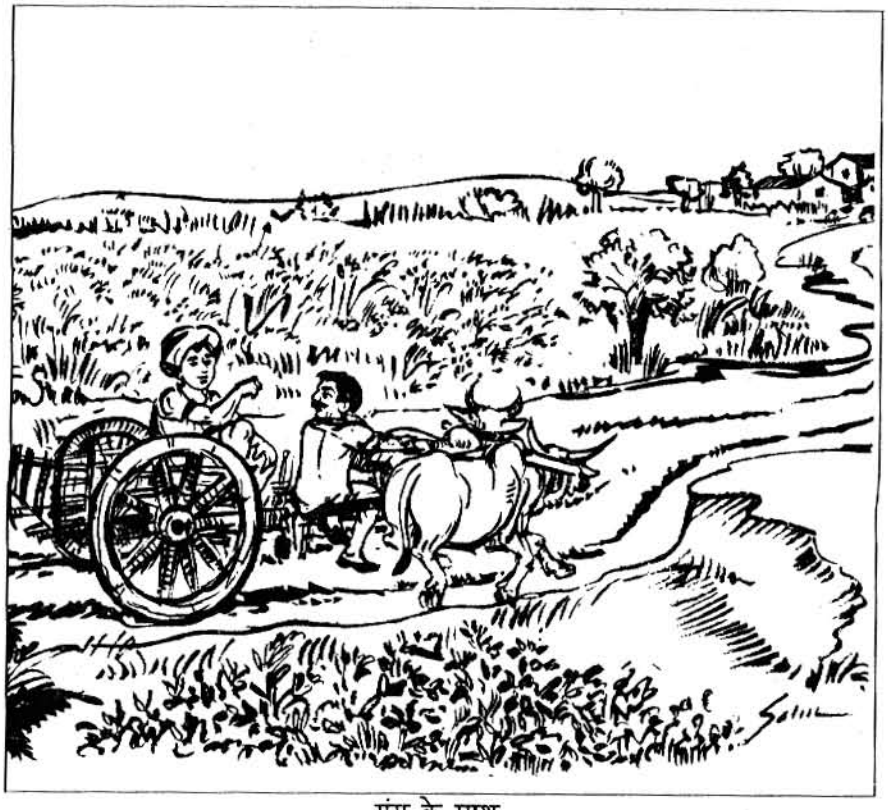

गंगू के साथ

गंगू थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, "हां मेरा सोयाबीन सस्ता तो बिका है, पर मुझे नगद पैसों की ज़रूरत है। खेती से साल भर का खर्चा कहां चलता है। घर को खर्चों के लिए उधार लिया हुआ था। इसीलिए सोयाबीन को बेच कर पैसे लाया हूं। अब जाकर उधार चुकाऊंगा।"

गंगू के पास सिर्फ दो एकड़ सिंचित ज़मीन है। उसके पास खेती के और कोई **साधन** नहीं हैं। उसे अपनी दो एकड़ ज़मीन जोतने के लिए हल, बैल, खाद, बीज, दवा, सब कुछ उधार पर लेना पड़ता है। घर के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ता है। जब से नहरों से सिंचाई होने लगी है, तब से वह अपने खेतों से दो फसल लेने लगा है। पर उधार चुकाने के लिए उसे अपनी फसल जल्दी बेचनी पड़ती है। पैसों की कमी के कारण वह इस बात का इन्तज़ार नहीं कर सकता कि जब भाव बढ़ें तब फसल बेचे। कभी उधार देने वाले को सस्ते में फसल बेचनी पड़ती है।

खेतों के बीच से गुज़रते हुए हमें कई खेतों में भरपूर फसल दिखाई दे रही थी। हमने गंगू से पूछा, "इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई है?"

गंगू ने कहा, "इस साल तो फसल कम हुई है।" यह सुनकर हमें अचरज हुआ।

हमने पूछा, "दूसरों की फसल तो अच्छी हुई है। तुम्हारी कम कैसे हो गई?"

गंगू ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, "इस साल मैं बहुत थोड़ी सी खाद डाल पाया हूं, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे, उतने का कर्ज़ा नहीं मिल पाया। मेरे दो एकड़ के खेत में कुल छह बोरे सोयाबीन ही हुआ है।"

गंगू जैसे छोटे किसानों को आसानी से कर्ज़ा नहीं मिल पाता है। उन्हें कई बार साहूकार को बहुत

ज़्यादा **ब्याज** देना पड़ता है। उनके पास ज़मीन कम होती है इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। इस हालत में छोटे किसान खेती के नए परंतु खर्चीले तरीकों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

गंगू की परेशानियां हम समझ पा रहे थे। हमने उससे पूछा "अब तुम क्या करोगे? साल भर का गुज़ारा कैसे होगा तुम्हारा?"

गंगू बोला, "मैं लोहारी का काम करता हूं। पर लोहारी का काम आजकल नहीं मिलता। मैं तो कल से ही दूसरों के खेतों पर सोयाबीन काटने जाऊंगा। मुझे अब मज़दूरी करके ही कमाई करनी पड़ेगी।"

गंगू एक छोटा किसान है। छोटे किसानों का गुज़ारा अपनी ही ज़मीन पर नहीं हो पाता। लेकिन कुछ महीनों के लिए अनाज मिल जाता है। उन्हें साल भर गुज़ारा करने के लिए दूसरों के खेतों पर मज़दूरी भी करनी पड़ती है। खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है।

वाक्य पूरा करो -

क) गंगू की फसल कम होने का कारण था कि . . . . . .।

ख) गंगू के लिए मज़दूरी करना ज़रूरी था क्योंकि . . . . . .।

ग) कर्ज़ चुकाने के लिए गंगू को फसल .....।

यदि तुम गांव में रहते हो -

क) तुम्हारे गांव में कितने एकड़ ज़मीन होने पर किसान परिवार बैलजोड़ी रख पाता है?

ख) किसानों को खाद-बीज के लिए कर्ज़ कहां-कहां से मिल जाता है? इस कर्ज़ को कब और कैसे वापिस करना होता है?

हरनारायण - एक बड़ा किसान

हरनारायण भेड़ागांव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए 25 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है। वैसे गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 50-100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है।

जब हम हरनारायण से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़ा मज़दूरों से अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली से सोयाबीन के बोरे उतरवा कर घर में रखवा रहा था। 'जय राम जी' कहते हुए हमने उससे पूछा, "आप तो सोयाबीन अन्दर रखवा रहे हैं। मण्डी जाकर बेचने का विचार नहीं है क्या?" इस पर हरनारायण बोला, "बेचेंगे, पर इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो सोयाबीन के भाव बहुत कम हैं। कुछ समय बाद भाव बढ़ने लगेंगे तब बेचेंगे।"

यह सोयाबीन की कटाई का समय था। तुम जानते हो कि किसी भी फसल की कटाई के बाद बाज़ार में वह फसल बहुत मात्रा में आ जाती है और सस्ते में बिकती है। हरनारायण को तुरन्त पैसों की ज़रूरत नहीं थी और उसके पास सोयाबीन रखने के लिए कमरे थे। इस कारण वह भाव बढ़ने का इन्तज़ार कर रहा था।

हरनारायण ने काम खत्म करवाया और हमें घर के अन्दर ले गया। उसने अपनी बेटी से जल्दी से चाय-नाश्ता लाने को कहा।

हमने पूछा, "आप बहुत जल्दी में दिख रहे हैं। कहीं जाना है, क्या?"

"बस शहर तक जाना है। मैं 5 एकड़ ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूं। ज़मीन का मालिक शहर

में रहता है। उससे बात करनी है और कुछ बाज़ार भी करना है।" हरनारायण ने कहा।

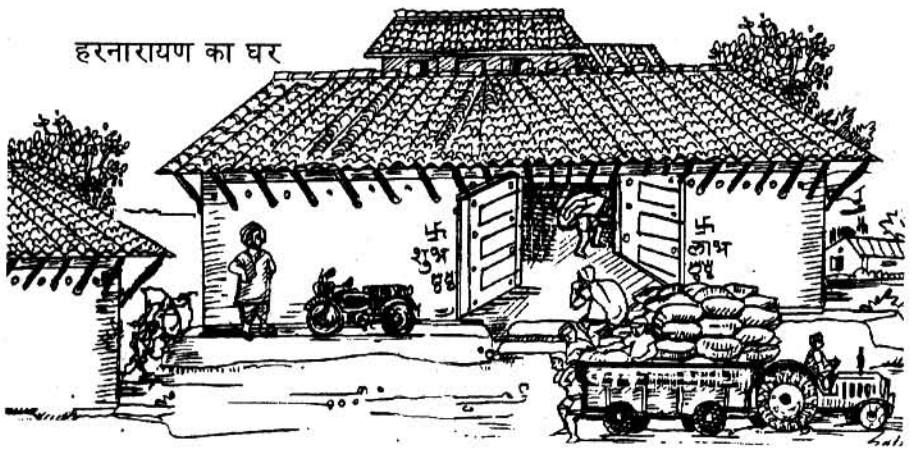
हरनारायण का घर

नाश्ते के साथ-साथ हरनारायण और हम बात करते रहे। उसने अपनी खेती के बारे में बहुत कुछ बताया। बीच में उसने कहा, "मैंने बैंक से लोन लेकर कई चीज़ें खरीदी हैं - मोटर पम्प, थ्रेशर और फिर टैक्ट्रर ट्राली। लोन भी चुका दिया है। अब अपने पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूं।"

हम हरनारायण जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुज़ारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती-बाड़ी की ज़रूरत की चीज़ों (जैसे खाद, बीज, दवा) में कोई कमी नहीं होने देता है। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार भी नहीं लेना पड़ता है। खेती की कमाई से इतना फायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने की सोच पाता है। उसने खेती के सभी साधन - पम्प, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि पहले ही खरीद लिए हैं।

हरनारायण जैसे बड़े किसान सभी कामों के लिए मज़दूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के लोगों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी बड़े किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा होती है और सिर्फ परिवार के लोगों के सहारे जोती नहीं जा सकती।

बड़े किसानों के यहां कुछ मज़दूर तो ऐसे होते हैं जिनको साल भर के लिए रखा जाता है। इन्हें **हरवाहा** कहते हैं। हरवाहों के अलावा फसलों की बोनी, कटाई आदि के समय और मज़दूरों को भी रखा जाता है।

वाक्य पूरे करो:-

क) हरनारायण फसल बाद में बेचना चाहता था क्योंकि . . .

ख) हरनारायण की खेती कर्ज़ पर नहीं चलती क्योंकि . . .

रामू भी हरनारायण की तरह और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं बचा पाता है?

क्या रामू जैसे किसानों को हरवाहे रखने की ज़रूरत होती है? समझाओ।

गंगू और हरनारायण के परिवारों में क्या अंतर है?

तुम्हारे गांव में कितने एकड़ ज़मीन होने पर एक किसान परिवार को खेती के खर्च जैसे खाद-बीज आदि के लिए कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती?

रज्जू बाई – एक मज़दूर

भेड़ागांव के सभी मज़दूर परिवार काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां सोयाबीन की कटाई चल रही थी।

सोयाबीन की कटाई के समय एक साथ बहुत मज़दूर चाहिए होते हैं। सोयाबीन पकने के बाद उसकी कटाई जल्दी-से-जल्दी करनी पड़ती है। कटाई तुरन्त नहीं की जाए तो सोयाबीन के दानों के **तिड़कने** (फूट कर गिरने) का डर लगा रहता है।

भोजन का समय था। कई मज़दूर बैठे भोजन कर रहे थे। हम ने कहा, "आजकल तो आप लोगों को दम भरने की भी फुरसत नहीं है।" वहां बैठी रज्जू बाई ने जवाब दिया, "हां, कटाई का समय जो है - वह भी सोयाबीन की।"

रज्जू बाई जैसे कई मज़दूर परिवारों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती है। ऐसे परिवारों को **भूमिहीन** मज़दूर कहते हैं। इसलिए अपने खेतों से खाने के लिए अनाज पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग पूरी तरह दूसरों के खेतों पर मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करते हैं।

रज्जू बाई से हमने पूछा, "सिंचाई के बाद अब सालभर तो काम मिल जाता होगा?" रज्जू बाई ने कहा, "सिंचाई होने से मज़दूरी का काम तो बढ़ा है। अब हमें गांव में ही कटाई का काम मिल जाता है। हमें **चैत** करने बाहर के गांवों में नहीं जाना पड़ता है। पर यह तो सिर्फ कटाई के कुछ दिनों की बात है। साल के हर रोज़ हमें मज़दूरी कहां मिलती है?"

सिंचाई के कारण दो फसल लेना सम्भव हो जाता है और इसलिए मज़दूरी करने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। फिर भी साल भर काम नहीं मिलता है। बोनी और कटाई के समय खूब काम रहता है और बाद में कम। दूसरे कामों के लिए मज़दूरी भी कम मिलती है। इसलिए बोनी और कटाई का समय ही कुछ कमाने का समय होता है। रज्जू बाई जैसे मज़दूरों को सिंचाई के बाद भी साल भर के गुज़ारे लायक आमदनी नहीं मिल पाती है। कई बार उन्हें कर्ज़ा लेना पड़ता है।

सोयाबीन की कटाई

खाना खत्म करके मज़दूर उठकर वापस खेत पर जाने लगे। हम भी वहां से उठकर गांव की बस्ती की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में हरनारायण के लड़के से फिर मुलाकात हुई। उसके खेत की कटाई अभी खतम हुई थी। उसने हमें बताया कि इस साल उसने एक खेत की कटाई **हार्वेस्टर कंबाईन** से किराए पर करवाई है।

हार्वेस्टर से कटाई

कटाई थोड़ी महंगी पड़ी पर काम जल्दी निपट गया। मज़दूर भी मुश्किल से मिलते है। इसलिए वह सोच रहा है कि अगले साल वह पूरी कटाई हार्वेस्टर से ही करवाएगा।

तुमने कोटगांव में हार्वेस्टर के बारे में पढ़ा था। यहां उसका चित्र देखो।

हार्वेस्टर एक दिन में सोयाबीन के बारह एकड़ खेत की कटाई कर सकता है। यदि मज़दूर इस काम को करें तो बहुत लोगों को काम मिल सकता है। हार्वेस्टर से कटाई होने लगे तो बहुत से मज़दूर परिवारों को काम नहीं मिलेगा।

गुरुजी की मदद से समझो: जो काम एक हार्वेस्टर एक दिन में करता है, उतना ही काम एक दिन में करने के लिए कितने मज़दूरों की ज़रूरत होगी?

अगले दिन भेड़ागांव में बाज़ार का दिन था। हाट करने के लिए बहुत से मज़दूर परिवार भी आए हुए थे। एक छोटी-सी बोतल में मीठा तेल खरीदते हुए हमें रज्जू बाई मिली। हमने पूछा "कटाई के पैसे मिल गए, रज्जू बाई, तभी बाज़ार करने आई हो?" "कटाई के पैसों से ज्वार खरीद कर रख लिया है। ज्वार अभी सस्ती है। दो-तीन महीनों का काम चल जाएगा। सोचा तो था ठण्ड के दिनों के लिए एक चादर भी खरीदूंगी। पर पैसे नहीं बच पाए हैं।" रज्जू बाई ने कहा।

भूमिहीन मज़दूर परिवार बहुत ग़रीब होते हैं। उनके पास ज़मीन नहीं होती है। वे गंगू जैसे भी नहीं है कि कुछ महीनों का अनाज पैदा कर पाएं। कुछ अनाज मज़दूरी में मिल जाता है परन्तु कई बार अनाज बाज़ार से महंगा खरीद कर भी खाना पड़ता है। यह सही है कि रज्जू बाई जैसे मज़दूरों की आमदनी बढ़ी है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज भी उन्हें अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए बार-बार उधार लेना पड़ता है।

सोयाबीन की कटाई के समय मज़दूरी अधिक क्यों हो जाती है?

तुम्हारे गांव में बिना ज़मीन वाले मज़दूर परिवारों के पास साल भर क्या-क्या काम रहता है? पता करो और समझाओ।

हार्वेस्टर आने से क्या फर्क पड़ सकता है?

हम भेड़ागांव के चार अलग-अलग परिवारों से मिले और हमने अलग-अलग किसानों और मज़दूरों पर सिंचाई और खेती के नए तरीकों का अलग-अलग असर भी देखा।

हमारे देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और किसानी से जुड़े हैं। लगभग सभी गांवों में छोटे,

बड़े और मध्यम किसान और मज़दूर मिलेंगे। इनमें से बहुत से लोग भूमिहीन मज़दूर हैं, रज्जू बाई की तरह। इनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है और वे सिर्फ अपनी मज़दूरी से गुज़ारा करते हैं। गंगू की तरह बहुत सारे छोटे किसान भी हैं। इनका अपनी खेती से गुज़ारा नहींहो पाता और उन्हें कुछ समय मज़दूरी या और कोई धंधा करना पड़ता है। बाकी जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से कई लोग मध्यम किसान हैं, यानी रामू जैसे। ये लोग खेती से गुज़ारा कर लेते हैं परंतु कोई बचत नहीं कर पाते। बहुत थोड़े से लोग हरनारायण जैसे बड़े किसान हैं। ये लोग खेती से **मुनाफा** कमा कर बचत भी कर लेते हैं।

ग़रीब मज़दूरों और किसानों के लिए कई योजनाएं बनीं हैं जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे।

अभ्यास के प्रश्न

1. गंगू और रज्जूबाई में क्या समानताएं और क्या फर्क हैं? गुज़ारा, ज़मीन, मज़दूरी - इन बातों का ध्यान रखते हुए उत्तर देना।
2. एक वर्ष की बात है। भेड़ागांव के रामू ने सोयाबीन की बोनी कर दी थी क्योंकि शुरू-शुरू में अच्छी बारिश हो गई थी। परंतु उसके बाद बहुत दिनों तक पानी नहीं गिरा। दुबारा बोनी करने की ज़रूरत हो सकती थी। इस स्थिति में वह क्या-क्या कर सकता है सोचकर बताओ।
3. पृष्ठ 144 से 145 पढ़ कर बताओ -
   हरनारायण की अच्छी आमदनी होने के तीन मुख्य कारण क्या हैं?
4. रज्जू बाई जैसे मज़दूरों को गुज़ारे लायक आमदनी क्यों नहीं मिल पाती - तीन कारण समझाओ।
5. तुमने पाठ में अलग-अलग किसानों की हालात समझी। उनकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में सही जगह भरो।

	ज़मीन	खेती के साधन	कर्ज़ा	मज़दूरी	फसल का बेचना
रामू जैसे मध्यम किसान	5 एकड़ गुज़ारे के लिए काफी		खाद-बीज के लिए		
गंगू जैसे छोटे किसान					फसल के बाद तुरंत बेचता है
हरनारायण जैसे बड़े किसान				मज़दूर लगाता है	
रज्जू बाई जैसे मज़दूर	कुछ नहीं				

6. ज़िला प्रशासन

मोहल्ला, गांव, तहसील और ज़िला

तुम्हारा पता-

तुम्हारा नाम क्या है------

तुम्हारे गांव/शहर का नाम क्या है ----------

तुम्हारी तहसील का नाम क्या है ----------

तुम्हारे ज़िले का नाम क्या है ----------

तुम रहते तो एक ही जगह हो, फिर तुम्हारे पते में इतनी जगहों के नाम कैसे आए? आखिर तुम कहां रहते हो - गांव में या तहसील में या ज़िले में?

चलो, इस बात का एक और उदाहरण लें। तुम अपने घर में रहते हो। तुम्हारा घर एक मोहल्ले में है। तुम्हारे घर और दूसरे कई घरों को मिलाकर तुम्हारा मोहल्ला बनता है।

तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे गांव में है। तुम्हारे मोहल्ले और दूसरे कई मोहल्लों को मिलाकर तुम्हारा गांव बनता है।

तुम अपने घर में रहते हुए अपने मोहल्ले में भी रहते हो, और अपने गांव में भी। क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारे ------ में है और तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे------ में है।

इसी तरह तुम्हारा गांव तुम्हारी तहसील में है। तुम्हारा गांव और कई और गांवों को मिलाकर तुम्हारी तहसील बनती है।

तुम्हारी तहसील तुम्हारे ज़िले में है। तुम्हारी तहसील और दूसरी कुछ तहसीलों को मिलाकर तुम्हारा ज़िला बनता है।

तुम्हारा ज़िला

तुम किस ज़िले में रहते हो?

गुरूजी से कहो तुम्हें ज़िले का नक्शा दिखाएं। अपने ज़िले के नक्शे में तुम अपनी तहसील पहचानो। तुमने अपनी तहसील का नक्शा देखा था।

क्या ज़िले के नक्शे में तुम्हारी तहसील उतनी ही बड़ी बनी है?

ज़िले में तुम्हारी तहसील के अलावा और कौन सी तहसीलें हैं?

इस नक्शे में तहसीलों की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

ज़िले की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

यहां दी गई तालिका में अपने ज़िले की सब तहसीलों के नाम लिखो। हर तहसील के कम से कम तीन गांवों के नाम भी उसके सामने लिखो।

तहसील	गांव

तुम्हारे ज़िले की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर कौन-कौन सी तहसीलें हैं?

यहां दिए वाक्यों में से सही वाक्य चुनो। गलत वाक्यों को सही करके अपनी कापी में लिखो।

1. एक घर में कई मोहल्ले हैं।
2. एक तहसील में कई गांव हैं।
3. एक मोहल्ले में कई गांव हैं।
4. एक तहसील में कई ज़िले हैं।
5. एक गांव में कई घर हैं।
6. एक गांव में कई मोहल्ले हैं।
7. एक ज़िले में कई गांव हैं।
8. एक ज़िले में एक तहसील से ज़्यादा गांव है।

तहसील और ज़िले के अधिकारी व कर्मचारी

क्या तुम सोच सकते हो कि तहसील व ज़िलों में क्या होता है? यह जानने के लिए चलो तहसील और ज़िले के **मुख्यालयो** पर देखें क्या होता है।

तुम्हारी तहसील का मुख्यालय कहां है? तुम्हारे ज़िले की अन्य तहसीलों के मुख्यालय कहां हैं?

तुम्हारे ज़िले का मुख्यालय कहां है?

ज़िलों और तहसीलों के मुख्यालयों में कई दफ्तर हैं। इन दफ्तरों में कई **अधिकारी** और **कर्मचारी** काम करते हैं। इस पाठ में हम **पटवारी, तहसीलदार** और **जिलाधीश (कलेक्टर)** का काम देखेंगे।

तुमने इन लोगों के बारे में सुना होगा। तुम पटवारी, तहसीलदार और ज़िलाध्यक्ष के बारे में क्या जानते हो- कुछ वाक्यों में बताओ।

इनमें से सबसे बड़ा अधिकारी तुम किसे मानते हो?

पटवारी, तहसीलदार और ज़िलाधीश ज़मीन का हिसाब-किताब रखने और ज़मीन के झगड़ों में फैसला करने का काम करते हैं। चलो, एक पटवारी, एक तहसीलदार और एक ज़िलाधीश से मिलकर उनके काम और समस्याओं के बारे में समझें।

पटवारी

ज़मीन की नपाई करना और लेखा-जोखा रखना ही पटवारी का मुख्य काम है।

अगर ज़मीन को लेकर दो लोगों में झगड़ा हुआ तो वही उस ज़मीन का मालिक माना जाएगा, जिसके नाम से पटवारी के खाते में वह ज़मीन दर्ज़ है।

किस के पास कितनी ज़मीन है? किसने कितनी ज़मीन बेची? किसने खरीदी? कितनी सरकारी ज़मीन है? उस पर किसी का कब्ज़ा तो नहीं? खरीफ में कौन सी फसल बोई? कौन सी रबी में? यह जानकारी हर साल पटवारी इकट्ठा करता है। इस जानकारी के आधार पर वह यह हिसाब बनाता है कि हर एक किसान को अपनी ज़मीन पर कितनी **तौजी** या कर देना है।

ज़मीन पर सरकार तौजी लेती है। तौजी एक प्रकार का कर है जो, खेतीहर ज़मीन और फसल के हिसाब से लिया जाता है।

चलो चलते हैं कनियाखेड़ी के पटवारी से मिलने। तुम कनियाखेड़ी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। याद है न?

कनियाखेड़ी का पटवारी

कनियाखेड़ी गांव अमरबोर तहसील में है। कनियाखेड़ी का पटवारी है मोहनकुमार। कनियाखेड़ी के अलावा वह तीन और गांवों का भी पटवारी है - पगांवा, नूनपुर और मानीगांव।

पटवारी मोहनकुमार तौजी का हिसाब-किताब बनाकर इन गांवों के **पटेल** को देता है। इसी के आधार पर पटेल अपने गांवों के किसानों से तौजी इकट्ठी करते हैं।

आज मोहनकुमार बहुत व्यस्त है। उसे अपने क्षेत्र के चारों गांवों के पटेलों को तौजी का हिसाब-किताब पूरा कर के देना है। हिसाब किताब की एक प्रति कल तक अमरबोर के तहसीलदार के दफ्तर में जमा भी करनी है।

मोहन कुमार कनियाखेड़ी के पटेल के यहां

पहुंचा। "राम-राम भैया। ये लो तौजी का फार्म। इस में गांव के सभी किसानों की तौजी की पहली किश्त लिखी है। वसूली कर के समय पर जमा कर देना।" मोहन कुमार ने पटेल से कहा।

मोहन कुमार ने तौजी का फार्म पटेल को सौंपा और अपनी साइकिल लेकर पगांवां गांव की ओर चल दिया।

वह पगांवां के पटेल के यहां बैठा उसे तौजी का फार्म दे रहा था कि इतने में एक किसान आया। "पटवारी जी राम-राम। आप को कई दिनों से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए," उसने मोहन कुमार से कहा।

"क्यों, क्या काम है?" मोहन कुमार ने पूछा।

"मैंने अपने खेत से लगा हुआ पीपल के पेड़ वाला खेत खरीद लिया है। उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। आप खेत पर चलकर उसकी नपती कर दो। और अपने खाते में यह खेत मेरे नाम चढ़ा देना।" किसान ने पटवारी से कहा।

"आज मुझे फुरसत नहीं है। मैं अगले मंगलवार आ कर तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम अभी नपती के लिए एक अर्ज़ी मुझे दे दो" मोहन कुमार ने जवाब दिया। इतने में एक और किसान वहां आया। "भैयाजी, मैं अपने खेत पर कुआं खुदवाना चाहता हूं। कुएं के लिए बैंक से सरकारी लोन भी चाहिए। मैं लोन के लिए अर्ज़ी दे रहा हूं। आप मुझे प्रमाण पत्र दे दें कि मेरे पास केवल तीन एकड़ ज़मीन है और मैं **अनुसूचित जाति** का हूं। मुझे कर्ज़े में छूट लेने के लिए यह प्रमाण पत्र चाहिए।" किसान ने कहा। मोहन कुमार ने अपने खाते में उस किसान का नाम ढूंढा। खाता देखने के बाद उसने किसान को प्रमाण पत्र दिया।

अपने कागज़ बटोरकर मोहनकुमार मानीगांव की ओर चल पड़ा।

पटवारी के काम से संबंधित चार वाक्य छांटकर कापी में उतारो।

पटेल का क्या काम है?

मोहन कुमार किन गांवों में काम करता है?

ये गांव कौन सी तहसील में हैं?

अपने गांव के पटवारी से पता करो-

वह तुम्हारे गांव के अलावा और किन गांवों में काम करता है?

यहां दिए गए कामों के अलावा उसे और कौन से काम करने पड़ते हैं?

अमरबोर का तहसीलदार

अमरबोर तहसील में बहुत सारे गांव हैं। इस पूरी तहसील में कई पटवारी काम करते हैं। हर पटवारी तीन-चार गांवों का काम देखता है। सभी पटवारी अपने गांवों की ज़मीन और तौजी का हिसाब किताब अमरबोर तहसील मुख्यालय में जमा करते हैं। तहसील का मुख्यालय

अमरबोर शहर में है। अमरबोर तहसील का तहसीलदार, तहसील के सभी गांवों के हिसाब-किताब की देख-रेख करता है। उसका नाम है आरिफ अन्सारी।

आओ अमरबोर के तहसीलदार से मिलकर उसके काम के बारे में पता करें।

अमरबोर का तहसीलदार

आज फरवरी की 10 तारीख है। दफ्तर पहुंचकर अमरबोर के तहसीलदार आरिफ अन्सारी ने तौजी की वसूली के कागज़ मंगवाए और जांच की कि कितने किसानों ने तौजी की पहली किश्त जमा नहीं की है। अन्सारी ने पाया कि दस-बारह गांवों के करीब सौ किसानों ने तौजी नहीं दी है। उसने दफ्तर के बाबू से कहा "इन सब किसानों को एक नोटिस भिजवा दो। यदि पंद्रह दिन में उन्होंने तौजी जमा नहीं की तो उन पर **कुड़की** का केस चलाया जाएगा।"

चित्र 2. अमरबोर तहसील का नक्शा

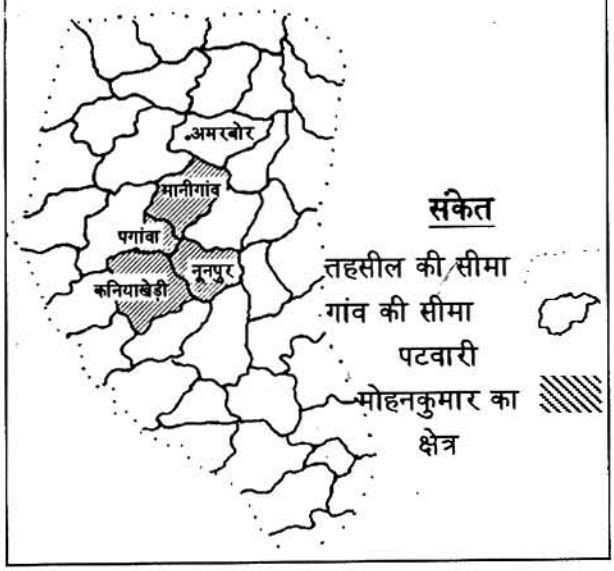

तौजी की जांच करते-करते अन्सारी को यह भी पता चला कि पांच-छः पटवारियों के हिसाब जमा ही नहीं हुए हैं। इस देरी का कारण बताने के लिए अन्सारी ने उन पटवारियों को चिट्ठी लिखवाई।

समय-समय पर तहसीलदार को तौजी के कागज़ातों की जांच करनी पड़ती है। यदि कोई किसान बहुत दिनों तक तौजी नहीं देता तो उस पर तहसीलदार की कचहरी में मुकदमा (केस) चलता है। तौजी पटाई गई या नहीं इसकी देख रेख तहसीलदार करता है।

यदि पटवारी अपने क्षेत्र की जानकारी समय पर तहसील के दफ्तर में नहीं भेजता, तब उससे कारण पूछने का अधिकार भी तहसीलदार को है। ज़मीन के झगड़ों की सुनवाई भी पहले तहसीलदार की कचहरी में होती है।

तौजी के कागज़ातों की जांच करने के बाद अन्सारी को कुछ मुकदमों की सुनवाई करनी थी। एक आदमी ने अर्ज़ी दी थी कि उसकी ज़मीन पर किसी दूसरे का कब्ज़ा है। अन्सारी ने दोनों आदमियों की गवाही सुनी और उस गांव के पटवारी को आदेश दिए कि वह अगली पेशी तक झगड़े वाले खेतों की नपाई कर के कचहरी में नक्शा पेश करे। उसने अगली पेशी की तारीख भी दी। दो-तीन मुकदमे सुन कर अन्सारी ने पेशियों का काम खत्म किया।

कई लोग बाहर इन्तज़ार कर रहे थे।

एक आदमी अपनी जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने आया था। वह अपनी लड़कियों की छात्रवृत्ति के लिए यह

प्रमाणपत्र चाहता था। उस आदमी के गांव का नाम देख कर तहसीलदार ने कहा, "यह गांव तो इस तहसील में नहीं है। तुम्हें पिपलौदा जा कर वहां के तहसीलदार से प्रमाणित करवाना होगा।" इस तरह वह दिन गुज़रा।

चित्र 3 तहसीलदार की कचहरी

अगले दिन अन्सारी को चहटपानी गांव जाना था। वहां के पटवारी ने दर्ज़ कराया था कि बीस एकड़ सरकार की ज़मीन (छोटे घास) पर एक व्यक्ति ने कब्ज़ा कर लिया है।

जब अन्सारी चहटपानी गांव गया तो पटवारी ने उसे कब्ज़े वाली ज़मीन दिखाई। तहसीलदार ने नक्शे से मिलान कर के पाया कि पटवारी की बात सही है। पता चला कि यह कब्ज़ा लखीराम का है। वह गांव में नहीं, शहर में रहता है। अन्सारी ने लखीराम के विरुद्ध नाजायज़ कब्ज़ा करने का केस बनाया।

चहटपानी का दौरा करके तहसीलदार अन्सारी वापस अमरबोर चला गया।

अमरबोर एक काल्पनिक तहसील है। पर तहसीलदार अन्सारी को जो काम करते दिखाया है, वे हर तहसीलदार के काम हैं।

यदि कोई किसान तौजी न दे तो तहसीलदार क्या कर सकता है?

यदि पटवारी सही हिसाब-किताब बनाकर गांव के पटेल को न दे, तो तहसीलदार क्या करेगा?

तहसीलदार और पटवारी के कामों में क्या-क्या फर्क हैं? चार फर्क बताओ। तहसीलदार और पटवारी में से बड़ा अधिकारी कौन है और क्यों - कारण भी समझाओ।

तुम्हारी तहसील का तहसीलदार कौन है? क्या तुम कभी तहसीलदार के पास गए हो? अगर हां, तो किस लिए?

तुम्हारा तहसीलदार किन गांवों की तौजी का हिसाब देखता है- पांच गांवों के नाम बताओ।

कलेक्टर या जिलाधीश

तुमने अमरबोर के तहसीलदार के बारे में पढ़ा। अमरबोर तहसील चन्दनपुर ज़िले में है। अमरबोर तहसील के अलावा कई और तहसीलें मिलाकर चन्दनपुर ज़िला बनता है। ये तहसीलें हैं: मेसदीहा, पिपलौदा, मोरखेड़ा, अमरबोर और मालीपुर।

चंदनपुर ज़िले के नक्शे में इन्हें पहचानो।

तुमने कलेक्टर का नाम सुना होगा। कलेक्टर को **ज़िलाध्यक्ष** या **ज़िलाधीश** भी कहते हैं। कलेक्टर सिर्फ एक तहसील की नहीं, ज़िले की सभी तहसीलों की देखरेख करता है। और वह केवल तौजी का

काम-काज ही नहीं देखता, ज़िले में हो रहे सभी कामों पर निगरानी रखता है।

ज़िले में कई **विभाग** होते हैं - पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग, ऐसे ही और कई विभाग हैं। इन सभी विभागों के अपने कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। पर यदि किसी विभाग के काम में कोई समस्या आए तो ज़िलाधीश उस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाता है। एक तरह से पूरे ज़िले की ज़िम्मेदारी कलेक्टर पर होती है।

ज़िलाधीश के बारे में कुछ जानने के लिए चलो मिलते हैं चन्दनपुर के कलेक्टर महेश नागले से।

चित्र 4 चन्दनपुर ज़िले का नक्शा

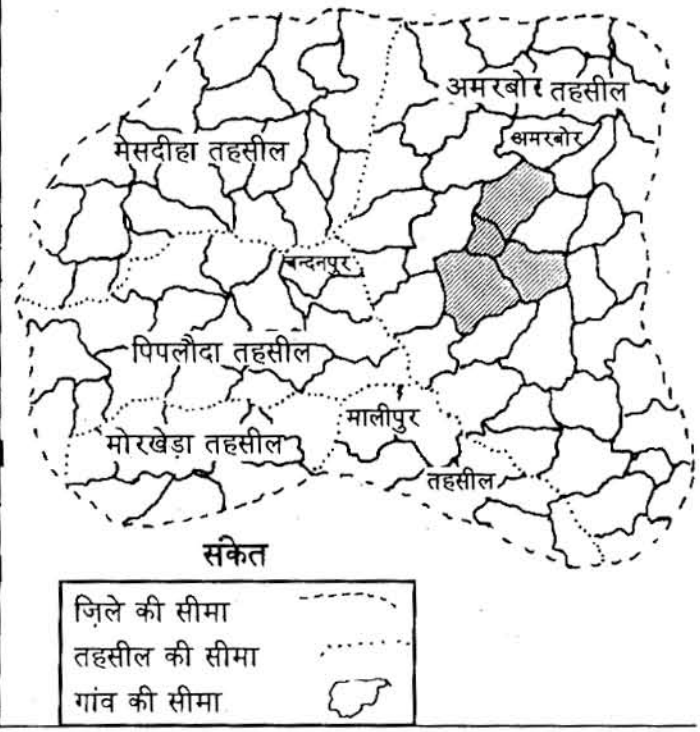

चन्दनपुर का ज़िलाधीश

चन्दनपुर ज़िले के ज़िलाधीश महेश नागले का दफ्तर है चन्दनपुर शहर में। वह रोज़ साढ़े दस बजे अपने दफ्तर पहुंचता है।

आज साढ़े ग्यारह बजे ज़िले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक ज़िलाधीश नागले के दफ्तर में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि- सभी विभागों के अधिकारी आए हैं। नागले ने एक-एक कर के पिछले महीने हर **विभागाध्यक्ष** द्वारा किए गए कामों की जानकारी उनसे ली। जो काम नहीं हो पाए थे, उनमें आ रही समस्याओं के बारे में पूछा। बैठक दो बजे तक चलती रही।

बैठक के बाद नागले ने फाइलें देखीं। उसकी मेज़ पर फाइलों का ढेर था। वह एक-एक करके फाइल पढ़ता जा रहा था। उस पर अपने आदेश लिखता जा रहा था।

एक फाइल में मनकापुर ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत थी। महेश नागले ने फाइल पढ़ी। फिर फोन उठाकर उसने अपने बाबू से कहा "ज़रा ज़िला पंचायत अधिकारी से बात कराना।"

अधिकारी की बात सुन कर नागले ने कहा 'अच्छा पंचायत इंस्पेक्टर ने जांच कर ली है? उसकी रपट अभी मुझ तक पहुंची नहीं। ज़रा भेज देना ताकि मैं कार्यवाही कर सकूं।' एक दो बातें और हुईं। फिर नागले ने फोन रख दिया।

फाइल देखते-देखते तीन बज गए थे। रोज़ तीन बजे से साढ़े चार बजे तक नागले ज़िले के लोगों से मिलता है। चन्दनपुर ज़िले की सभी तहसीलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर ज़िलाधीश से मिलने आते हैं।

चित्र 5. जिलधीश से मिलते हुए लोग

मेसदीहा तहसील का एक छोटा किसान आया है। उसकी ज़मीन पर किसी दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया था। इस किसान ने एक साल पहले तहसीलदार की कचहरी में अर्ज़ी दी थी। वह कई बार तहसीलदार से मिल भी चुका था। पर अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। महेश नागले ने उससे अर्ज़ी की एक प्रति लेकर रख ली और कहा कि वह खुद इस मामले के बारे में तहसीलदार से बात करेगा।

तहसील पिपलौदा के कुछ किसान आए थे। उनके गांव में सिंचाई नहीं थी। वहां कुएं खुदवाना भी बहुत मुश्किल था। मनकापुर में बने बांध की नहरें पास के गांवों तक पहुंच गईं थीं, पर उनके गांव तक नहर नहीं आई थी। वे चाहते थे कि उनके गांव में भी नहर बनाई जाए ताकि उन्हें भी सिंचाई का फ़ायदा मिल पाए।

नागले ने उन्हें बताया कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर पाएगा। बांध और नहरें कहां बनाई जाएंगी, ये **राज्य सरकार** की सिंचाई की योजना में तय होता है। उनका गांव मनकापुर नहर की योजना में नहीं आता। यदि उनके यहां नहर का पानी आना संभव है तो उन्हें अपने **विधायक** से कह कर, यह बात राज्य सरकार की सिंचाई योजना में मंजूर करवानी होगी।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानून और योजनाओं को ज़िलाधीश, तहसीलदार और पटवारी ज़िले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम-कानून या नीति नहीं बदल सकते हैं, न ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं।

अगली सुबह पांच बजे महेश नागले के घर पर अमरबोर से फोन आया। अमरबोर के रुई के कारखाने में रखे कपास के ढेर में आग लग गई थी। जलती हुई कपास उड़ कर आसपास भी जा रही थी। अभी भी आग को रोकने की कोशिश चल रही थी। महेश नागले ने तय किया कि वह थोड़ी देर में अमरबोर के लिए रवाना होगा। उसने **पुलिस अधीक्षक** और **सिविल सर्जन** से साथ चलने को कहा।

महेश नागले करीब आठ बजे तक अमरबोर पहुंचा और सीधे रुई के कारखाने पर गया। कपास काफी जल चुकी, पर आग पर काबू पा लिया गया था। नगरपालिका अध्यक्ष और तहसीलदार भी वहां थे। ज़िलाध्यक्ष ने उन से पता किया कि कितना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष ने बताया कि कारखाने के दो मज़दूर काफी जल गए हैं और वे अस्पताल में भरती हैं।

नागले ने जले हुए घरों के मालिकों को बीस-बीस हज़ार रुपए का **मुआवज़ा** देने की घोषणा की। आग लगने की जांच करवाने का

भी वादा किया।

नागले में दोनों घायल मज़दूरों से भी मिला। नागले ने उन दोनों को दस-दस हज़ार रुपए देने की घोषणा की।

वापस चन्दनपुर लौटते समय नागले दो-तीन गांवों में रुका। वहां के किसानों और पंचों से उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। अमरबोर तहसील से निकलकर मनकापुर में सरपंच के खिलाफ शिकायत के बारे में पता किया। शाम को अंधेरा होने के बाद ही वह चन्दनपुर वापस पहुंच पाया।

चन्दनपुर ज़िला काल्पनिक जगह है पर चन्दनपुर ज़िले के ज़िलाधीश महेश नागले को तुमने जो भी काम करते पढ़ा, वे किसी भी ज़िलाधीश के काम हैं।

जो तुमने पढ़ा, उस के आधार पर बताओ कि ज़िलाधीश क्या-क्या काम करता है?

क्या ज़िलाधीश कोई नया कानून बना सकता है?

तहसीलदार और ज़िलाधीश में तीन फर्क बताओ।

दोनों में से बड़ा अधिकारी कौन है? यह कैसे पता चलता है।

तुम्हारे ज़िले का ज़िलाधीश कौन है?

मध्य प्रदेश राज्य और उसके ज़िले

तुम्हारा ज़िला मध्यप्रदेश राज्य में है। मध्यप्रदेश में तुम्हारे ज़िले के अलावा और बहुत से ज़िले हैं। हर ज़िले का एक ज़िलाधीश होता है जो महेश नागले की तरह अपने ज़िले के कामों की देख-रेख करता है।

अगले पृष्ट पर मध्यप्रदेश का नक्शा दिया है। इस नक्शे में कितनी तरह की रेखाएं हैं?

नक्शे में ज़िलों की सीमा किस तरह दिखाई है?

मध्यप्रदेश की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

इस नक्शे में अपना ज़िला पहचान कर उसे रंगो।

मध्य प्रदेश में और कितने ज़िले हैं?

मधयप्रदेश में कितने ज़िलाधीश हैं?

इन में से कौन सी जगहों की समस्याएं तुम्हारे ज़िले का ज़िलाधीश सुलझाएगा - होशंगाबाद, भोपाल, खातेगांव, हरदा, इंदौर, जबलपुर, देवास, नरसिंहपुर, ग्वालियर।

इस पूरे लम्बे चौड़े मध्यप्रदेश की एक **राज्य सरकार** है। राज्य सरकार का कानून मध्यप्रदेश के सभी ज़िलों में लागू होता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. ग़लत वाक्यों को सुधार कर लिखो-
   क) पूरे मध्यप्रदेश राज्य में होशंगाबाद ज़िले से अधिक तहसीलें हैं।
   ख) देवास ज़िले में हाटपिपल्या तहसील से अधिक गांव हैं।
   ग) हरदा तहसील होशंगाबाद ज़िले में है।
   घ) बैतूल ज़िला मध्यप्रदेश राज्य में है।
   ड) इंदौर ज़िले का ज़िलाधीश देवास की समस्या सुलझाएगा।

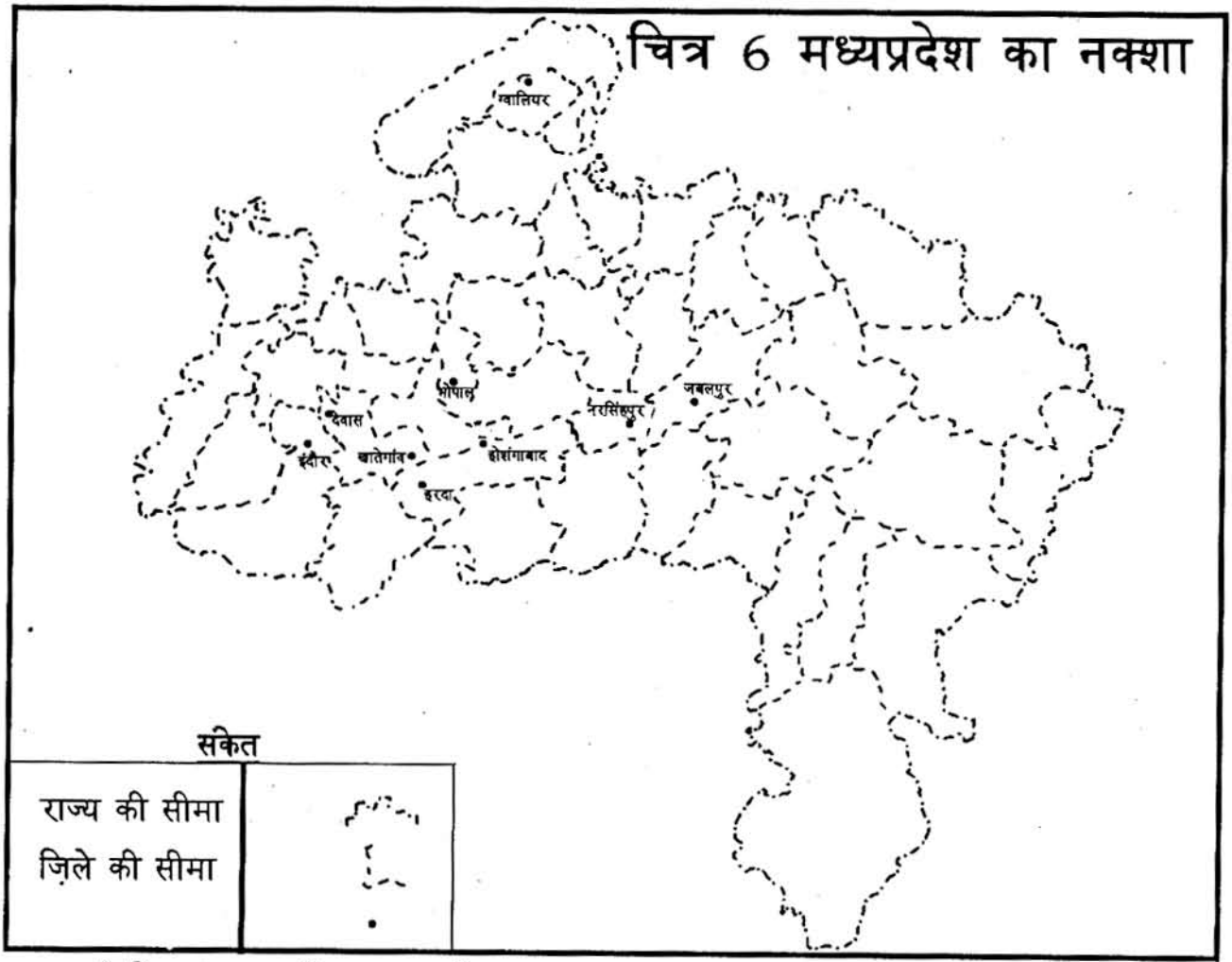

चित्र 6 मध्यप्रदेश का नक्शा

2. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरो।

क) खेतिहर भूमि की नपाई .... (तहसीलदार / पटवारी / विधायक / ज़िलाधीश) करता है।

ख) यदि पंचायत के खिलाफ शिकायत करनी है तो............. (पटवारी / तहसीलदार / जिलाधीश) के पास जाना होगा।

ग) पटवारी तौजी के कागज़ात समय पर बनाता है या नहीं, यह देखना .... (पटेल / तहसीलदार/ विधायक) का काम है।

3. यहां पर हमारे गांव के लोगों की कुछ समस्याएं दी गई हैं। किन समस्याओं के लिए पहले किसके पास जाना पड़ेगा। (तहसीलदार / पटवारी / सरपंच / ज़िलाधीश)?

क) हमारी गली में नाली नहीं है। इसलिए सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है।

ख) रामलाल ने भीरू से ज़मीन खरीदी पर पटवारी ज़मीन उसके नाम नहीं चढ़ा रहा है।

ग) पुतली नदी पर बने बांध (जो पड़ोस के तहसील में है) की नहरें हमारे गांव तक नहीं पहुंची हैं।

4. नगरपालिका अध्यक्ष और तहसीलदार के बीच तुलना करके दोनों में अंतर बताओ।

5. ज़िलाधीश कौन से काम नहीं कर सकता? एक उदाहरण बताओ। वह काम कौन कर सकता है?